



, vj bāM; k fy- ds l nL; k ds l e{k Lora- ys{k ijh{kdh ft Eeskj h

foUk; foOj.kkaij fjiWZ

हमने एअर इंडिया लि. 'कंपनी' के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2014 तक की अवधि का तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते का विवरण व नकदी प्रवाह विवरण तथा सार्थक लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित हैं।

foUk; foOj.kk ds fy, i z ak oxZ dh ft Eeskj h

कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 133 के संदर्भ में निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 13.09.2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 'अधिनियम' की धारा 211 की उपधारा (3-सी) में उल्लिखित लेखा मानकों (एएस) के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उनकी उचित प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना तथा उनका रिकार्ड रखना सम्मिलित है। ये वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती से मुक्त होते हैं।

ys{k ijh{kdh ft Eeskj h

लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा वित्तीय विवरण किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो, अतः हम इस आश्वासन को उचित रूप से पूरा करने के लिए लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करते हैं।

लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करनी होती हैं। वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोखिम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उपयुक्त प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं ना कि कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिससे स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार लेखा परीक्षा डिज़ाइन की जा सके। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंध वर्ग द्वारा दिए गए लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे क्वालीफाइड मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।

DokylQkbM vki lfu; u ds vlekj

1. हम रेमको प्रणाली (रेमको) में इनवेंटरी शेषों को अंतरित करने के संबंध में टिप्पणी संख्या 1 (ग) (4), टिप्पणी संख्या 62 के साथ पढ़ने के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं :

क) मरम्मत योग्य मदों को टिप्पणी सं. 62 के साथ पठित टिप्पणी सं. 1 (ग) (4)(ii) में केवल स्क्रेप के समय व्यय में दर्शाया जाता है। अतः मरम्मत योग्य मदों को जारी करते समय खपत के रूप में प्रभारित नहीं किया जाता है। मरम्मत योग्य मदों को प्रारंभ में जारी करते समय प्रारम्भ में प्रभारित नहीं करने की लेखांकन नीति हमारी राय में स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में एएस-10 के साथ पठित "इनवेंटरी संबंधी एएस-2" के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अंतरण के दौरान जहां भी इनवेंटरी मदों की भारित औसत दर उपलब्ध नहीं थी, वहां इनका मूल्य नवीनतम उपलब्ध भारित औसत दर/कैटलॉग मूल्य पर लगाया गया। नवीनतम भारित औसत/कैटलॉग मूल्य पर भी इन इनवेंटरी का मूल्यांकन एएस-2 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार इसे उसके मूल भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो पर आंका जाना चाहिए। इसके वित्तीय प्रभाव को लेखों में निश्चित नहीं किया गया है।

ख) निम्न के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है:

i) मूल्यांकनों/मात्रा के संबंध में 316.1 मिलियन रुपयों का अंतर प्रावधान (निर्धारण की सीमा तक) दुरस्त किया जाना अपेक्षित है (टिप्पणी सं. 62(iii) देखें);



- ii) 1181.1 मिलियन रुपयों के मूल्य की इनवेंटरी मदों को प्रत्यक्ष उपलब्धता के आधार पर 'गैर नियोजित आय' के रूप में वर्ष के दौरान रेमको में अंतरित कर दिया गया जिसके लिए प्रत्यक्ष उपलब्धता तथा लागत को साबित करने के लिए पर्याप्त रिकार्ड प्रबंधन के पास नहीं है (टिप्पणी सं. 62(v) देखें);
 - iii) इनवेंटरी में विमान रोटेबल्स का 19.7 मिलियन रुपयों का अंतर मूल्य सम्मिलित है जिसे दुरस्त किया जाना अपेक्षित है (टिप्पणी सं. 62(vi) देखें);
 - iv) आंतरिक मरम्मत कार्य के लिए 3532.4 मिलियन रुपयों के सामान को जारी किया गया जिसके कार्य आदेश समाप्त/पूरा होना/पूर्ण समाप्त/रद्द हो गए हैं तथा इनका समायोजन रेमको में नहीं हुआ है तथा 381.0 मिलियन रुपयों के एक्सपेंडेबल को इसमें सम्मिलित किया गया है (टिप्पणी सं. 62(viii) देखें);
 - v) 1485.1 मिलियन रुपयों के कुल इनवेंटरी शेष विभिन्न मध्यस्थ खातों में है जिनके उपभोग/जारी करने को अद्यतन नहीं किया गया (टिप्पणी सं. 62(ix) देखें);
 - vi) रेमको में 970.1 मिलियन रुपयों के उपयोग का लेखांकन किया गया किंतु खाता बही(सैप) में इसके विपरीत किया गया जिसका आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है (टिप्पणी सं. 62(x) देखें)।
- ग) निःशुल्क प्राप्त मदों, कैनीबलाइज्ड मदों तथा विमान के साथ प्राप्त मदों के निश्चित वित्तीय प्रभाव को इनवेंटरी में लिया गया तथा जिनका नवीनतम भारित औसत लागत पर मूल्य लगाया गया जिनके मूल्य तथा मात्रा में संशोधन किया जाना लंबित है, स्केपेजेज लंबित है तथा जैसा कि टिप्पणी सं. 62 में उल्लिखित है विभिन्न इनवेंटरी संबंधी खातों का लंबित मिलान तथा मरम्मत योग्य के लेखांकन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन की प्रक्रिया अनिर्धारित रही अतः इस संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती।
- घ) जैसाकि टिप्पणी में उल्लिखित है कि इनवेंटरी मदों का अंतिम मूवमेंट उपलब्ध नहीं है तथा मात्रा संबंधी सहायक विवरण तथा अंतरित किए गए विवरण को दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा लीगेसी प्रणाली में उपलब्ध मूवमेंट डाटा के आधार पर अचल मदों की पहचान की गई जिसको रेमको से इतर तैयार किया गया। अतः इनवेंटरी के अग्रेषित मूल्य पर उपर्युक्त का प्रभाव निर्धारित नहीं है।
- ड.) जैसाकि टिप्पणी सं. 62(ii) में उल्लिखित है कि रेमको में शेष अंतरित करने की प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण तथा दस्तावेज अपर्याप्त हैं तथा अंतरण संबंधी लेखा परीक्षा नहीं की गई है। अंतरित इनवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है तथा अंतरण के दौरान आवश्यक लेखांकन क्रिया में पाए गए अंतर को समायोजित किया जाना शेष है। वर्ष के दौरान अंतरण में मिलान नहीं किए गए अंतर के संबंध में 353.9 मिलियन रुपयों के प्रावधान को रिवर्स कर दिया गया यद्यपि इसका समाधान अभी किया जाना है। हमारी राय में इस अंतर के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।
- च) जैसाकि टिप्पणी सं. 62(xv) में उल्लिखित है, थर्ड पार्टी के साथ इनवेंटरी के संबंध में शेषों की पुष्टि लंबित है। विक्रेता संबंधी खाते, लंबित समाधान तथा सामान/व्यय के प्रति देयता, रेमको में उपलब्ध आंकड़ों की सीमा तक लेखा में दर्ज किए जा रहे हैं। गैर विमान इनवेंटरी शेष के संबंध में सत्यापन, समाधान तथा आवश्यक लेखा समायोजन जो लेखा खातों में दर्ज हैं वह प्रगति में भी दर्शाए गए हैं जिसमें कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला सटीक प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
- छ) कंपनी के पास फेज़ आउट किए गए सीएफ 6 इंजन के पुर्जों संबंधी 801.3 मिलियन रुपयों की राशि की इनवेंटरी है जिसे अन्य विमानों में प्रयोग के लिए प्रमाणित नहीं किया गया है तथा कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखाकरण नीति के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। (टिप्पणी सं. 62(xi) देखें)

अतः हमारी राय में वर्ष के अंत में इनवेंटरी में उल्लिखित शेषों के लिए 9040.7 मिलियन रुपए की राशि अधिक दर्शायी गई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में 9040.7 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शायी गई है। मात्राओं/मूल्यों में मूल्यांकन/अंतरों के निश्चित प्रभाव निर्धारित नहीं है इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

2. जैसाकि टिप्पणी संख्या 79 में उल्लिखित है कि कंपनी के पास 28425.2 मिलियन रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति का निवल शेष है जिसे वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 के लेखों में लिया गया था। बाद के वर्षों में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को विवेकपूर्ण उपाय के रूप में केवल आस्थगित कर देयताओं की सीमा तक ही लेखों में लिया गया। चूंकि कंपनी ने लेखा



मानक-22 के अंतर्गत अनुबद्ध वास्तविक निश्चितता, आय पर कर, वर्ष 2009-2010 में निश्चित नहीं की थी, अतः आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को वर्ष 2009-2010 के लाभ एवं हानि खाते में डाला जाना चाहिए। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, लाभ एवं हानि के विवरण में पूर्वावधि समायोजन के शेष को 28425.2 मिलियन रुपए कम दर्शाया गया तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत आस्थगित कर परिसंपत्ति के शेष को उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया। इसके परिणामी प्रभाव के कारण तुलन-पत्र में अग्रणीत "वर्ष की कर पश्चात् हानि" को 28425.2 मिलियन रुपए तक कम दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति को 2889.7 मिलियन रुपए की आस्थगित कर देयता तक लेखे में लिया गया। यद्यपि प्रबंधवर्ग उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 79 में दिए गए विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किए जा रहे टर्न अराउंड उपायों के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर आश्वस्त है, तथापि प्रबंध वर्ग द्वारा अपेक्षित उसके प्रभाव को निर्णायक रूप से माना नहीं जा सकता और इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम इस निर्णय पर पहुंचें कि क्या एएस-22 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित वास्तविक निश्चितता है। अतः हम आवधिक रूप से पहचानी गई आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्राप्यता के संबंध में अपनी राय देने में असमर्थ हैं। वर्ष के लिए हानि पर उपर्युक्त के समूचे प्रभाव, को निश्चित नहीं किया जा सकता।

3. जैसा कि टिप्पणी सं. 28 में उल्लिखित है कंपनी को पूंजीकृत सैप की लागत को अपने खातों में तथा अनुरक्षण प्रभारों को सहायक कंपनियों में विभाजित करना अभी शेष है जहां सैप को कार्यान्वित किया जा रहा है या कार्यान्वित कर दिया गया है अतः इसका प्रभाव निश्चित नहीं किया गया है। कुछ मामलों में अंतरण लेखा परीक्षा का लेखाकरण ट्रीटमेंट अभी भी लंबित है। अतः इसका प्रभाव निश्चित नहीं किया गया है।
4. जैसाकि टिप्पणी सं. 33(ख) में उल्लिखित है कंपनी के हक में वसंत विहार की संपत्ति कंपनी के खाते में 51295.1 मिलियन रुपए के मूल्य की लीज़ होल्ड संपत्ति के रूप में दर्ज है जिसकी लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है तथा कंपनी के हक का नियमितिकरण लंबित है। नियमितिकरण प्रभारों/देय जुर्माना, यदि कोई है, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी राशि निश्चित नहीं है। लेखों में परिसंपत्तियों का कैरींग मूल्य कंपनी के हक के विनियमितिकरण के अधीन है तथा चूंकि मामला सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित है अतः उसका वित्तीय विवरणों में प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। देय अनर्जित वृद्धि का प्रभाव, यदि है, तो निश्चित नहीं है।
5. जैसाकि टिप्पणी सं. 33(घ) में उल्लिखित है कंपनी में नेरूल, नवी मुंबई की भूमि में निर्मित 508 प्लैटों में से 332 प्लैट बेच दिए हैं। यद्यपि बेचे गए प्लैटों के अधिकारों, ब्याज तथा कब्जे संबंधित सदस्यों के पक्ष में कर दिए गए हैं, संपत्ति को स्थिर परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है तथा मूल्यहास को संयुक्त लागत पर प्रभारित किया जा रहा है। इस स्थानांतरण से हुई कर देयता यदि कोई है तो उसकी संगणना नहीं की गई है तथा उसको लेखों में दर्ज नहीं किया गया है। चूंकि बेचे गए प्लैटों के स्थानांतरण अधिकार पूरे हो गए हैं, हमारी राय में बेचे गए प्लैटों के आवश्यक लेखा प्रभावों को लेखों में दर्ज किया जाना आवश्यक है। तथापि टिप्पणी में बताए गए कारणों को देखते हुए उपरोक्त के निश्चित प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया है अतः इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।
6. सहायक कंपनी में विभिन्न शेषों में/कुछ स्थानों में अन्य परिसंपत्तियों/देयताओं/आय/व्यय लेखों में डेबिट/क्रेडिट के मिलान सहित पुष्टि तथा मिलान एवं टीडीएस/सेवा कर, मध्यस्थ/ट्रांज़िटरी लेखों के लंबित मिलान के संबंध में जैसाकि टिप्पणी सं. 29,37,38,53 से 55, 60 से 67, 70 तथा 74 में उल्लिखित है, विभिन्न इनवेंटरी संबंधी विक्रेताओं के लेखों तथा अन्य लेखों का मिलान भी लंबित है तथा उनका पुराने/सैप डाटा के साथ संकलन एवं मिलान किया जा रहा है। इनवेंटरी मदों का वर्षान्त शेष तथा वर्ष के दौरान खपत को रेमको से उत्पन्न रिपोर्टों के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है जिनका लेखों के साथ मिलान होना है। सैप में अंतरित स्थिर परिसंपत्तियों/रोटेबल मदों के शेष का भी मदवार समाधान किया जा रहा है। टिप्पणी में उल्लिखित विभिन्न राजस्व संबंधी लेखों का समाधान भी अभी लंबित है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों का मिलान/पुष्टिकरण के कारण उत्पन्न समायोजन के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता है।
7. जैसाकि टिप्पणी सं. 42 में उल्लिखित है कंपनी को लेखा मानक-28 की अपेक्षाओं के अनुरूप क्षति मूल्यांकन करना शेष है तथा विमान बेड़े के क्षति मूल्यांकन लंबित होने से 43,997.1 मिलियन रुपए की राशि के विनिमय अंतर को पूंजीबद्ध किया गया है। जैसाकि टिप्पणी सं. 44(ख) में उल्लिखित है, कुछ विमानों की तुलन-पत्र तिथि के पश्चात बिक्री/लीज़ हेतु पहचान की गई लेकिन क्षति का मूल्यांकन नहीं किया गया। क्षति के कारण समग्र प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया, अतः इस संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती।



8. जैसाकि टिप्पणी सं. 46 में उल्लिखित है कि विमानों की डिलीवरी के समय प्राप्त 1545.4 मिलियन रुपए की राशि के निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता क्रेडिट हकदारी को स्थिर परिसंपत्तियों संबंधी लेखा मानक-10 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित करने के स्थान पर आकस्मिक राजस्व में दर्शाया गया है। अतः इतनी हानि भी कम दर्शायी गई है। वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास पर निश्चित प्रभाव की गणना नहीं की गई है, इसलिए यह निर्धारित नहीं है। टिप्पणी सं. 1 (सी) (5) में उल्लिखित लेखा नीति लेखा मानक-10 के अनुरूप नहीं है।
9. जैसाकि टिप्पणी सं. 43 में उल्लिखित है सर्व फ्राम इंडिया स्कीम के तहत अप्रयुक्त शुल्क क्रेडिट हकदारियों के शेष की 6934.2 मिलियन रुपयों की राशि को वित्तीय विवरणी में वसूली योग्य नकद या प्रकार के रूप में अग्रपिप्त किया जा रहा है। चूंकि इन स्क्रिप्स की अवधि समाप्त हो गई है तथा इनका विधिमान्यकरण किया जाना है, लेखों में 6736.4 मिलियन रुपयों का अग्रपिप्त शेष (carrying balance) का प्रावधान किया जाना है (तुलन पत्र की तिथि के बाद निवल उपयोग) इसके अतिरिक्त कंपनी ने वर्ष 2007-08 के 4735.9 मिलियन रुपए की राशि के एसएफआईएस दावा को लेखों में दर्ज किया है जबकि कंपनी के दावे की स्वीकृति की कोई पुष्टि नहीं हुई है तथा स्क्रिप्स (scrips) भी अभी जारी की जानी हैं। हमारी राय में कंपनी का इन स्क्रिप्स पर दावा अभी स्वीकृति के अधीन है, इसलिए इसका "असाधारण मद" के रूप में प्रकटीकरण, राजस्व प्रकटीकरण पर एस-9 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
10. जैसाकि टिप्पणी सं. 44(क) में उल्लिखित है दो विमानों बी 777-200 एलआर की बिक्री के कारण हुई 2,779.5 मिलियन रुपयों की राशि की हानि को लेखों में दर्ज नहीं किया गया है जबकि इन विमानों का सक्रिय प्रयोग बंद हो गया तथा वह निपटान के लिए रखे हुए थे। इन विमानों को निवल रीलाइजेबल मूल्य पर अधिशेष परिसंपत्तियों के रूप में उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है तथा परिणामी हानि को लेखों में दर्ज किया जाना चाहिए।
11. निम्न के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया :
- क) 25,24.9 मिलियन रुपयों का विभेदक गारंटी शुल्क (Differential Guarantee fee) जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अभी प्राप्त करना शेष है (टिप्पणी सं. 31 देखें);
 - ख) 24.6 मिलियन रुपयों की नेरूल भूमि की खरीद के लिए अग्रिम बकाया जिसमें लीज डीड निष्पादित करना, कब्जा सौंपना लंबित है तथा प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया है (टिप्पणी सं. 35 देखें);
 - ग) पैक्स क्रेडिट विक्रय (मध्यवर्ती लेखा) में 500.7 मिलियन रुपए का डेबिट शेष लेखों में दिखाए गए अधिक राजस्व या अधिक देयता को दर्शाता है (टिप्पणी सं. 60(ख) देखें);
 - घ) एअर इंडिया बिल्डिंग में विभिन्न किराएदारों के 3 वर्षों से पुराने से 370.2 मिलियन रुपयों तक की देय राशि (टिप्पणी सं. 60(ड.) देखें);
 - ड.) लेखों के मिलानाधीन होने के कारण सेवा कर के विलंबित भुगतान के लिए देय जुर्माना तथा ब्याज (राशि अनिर्धारित) (टिप्पणी सं. 55(ड.) देखें);
 - च) नागर विमानन मंत्रालय के पत्र के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय 1408.3 मिलियन रुपयों का ब्याज (टिप्पणी सं. 66(क) देखें);
 - छ) विलंबित भुगतान के कारण विभिन्न विमानपत्तन प्राधिकरणों को देय ब्याज जो कंपनी के अनुसार विवादित है अतः सही देय राशि निर्धारित नहीं है (टिप्पणी सं. 63 से 67 देखें);
 - ज) जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण जहां रिपोर्ट कार्यान्वित हो गई है वहां कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के एकरूअल से पड़ने वाला प्रभाव क्योंकि इसकी गणना पृथक रूप से नहीं की गई है। एस-15 के अंतर्गत किए गए खुलासे का परिणामी प्रभाव भी निश्चित नहीं किया गया है (टिप्पणी सं. 77(ग) देखें)।
12. संशोधित अनुसूची VI के तहत प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में जैसाकि टिप्पणी सं. 82 में उल्लिखित है, नागर विमानन मंत्रालय से ऐसे अप्रकटन के लिए छूट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त संशोधित अनुसूची VI की अपेक्षाओं का हर संभव अनुपालन किया गया है तथा चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों/देयताओं का वर्गीकरण प्रबंध वर्ग द्वारा किया गया है। अतः लंबित अनुपालनों के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
13. हम लेखों के भाग के रूप में उपलब्ध निम्नलिखित टिप्पणियों के प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके लिए लेखों पर निश्चित वित्तीय प्रभाव अनिर्धारित रहा :
- क) टिप्पणी सं. 33 कुछ संपत्तियों के संबंध में प्राप्त की जा रही लंबित पंजीकरण औपचारिकताओं तथा टाइटल डीड्स के संबंध में है, टिप्पणी सं. 37 सैप में अंतरित नहीं किए गए विभिन्न स्थिर परिसंपत्तियों के आंकड़ों तथा श्रेणीबद्ध की जाने



वाली कुछ स्थिर परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा मिलान के लिए लंबित आंकड़ों के संबंध में है, टिप्पणी सं. 39 (ख) कुछ परिसंपत्तियों के वर्गीकरण तथा मूल्यहास के संबंध में है, इनका वित्तीय प्रभाव अनिर्धारित रहा;

- ख) टिप्पणी सं. 33 (घ) अतिरिक्त भूमि का विकास न किए जाने के संबंध में सिडको को देय अतिरिक्त प्रीमियम को पूंजीकृत किए जाने के संबंध में है;
- ग) टिप्पणी सं. 36, 51 तथा 54 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार वर्ष के अंत में हाथ में नकदी के वास्तविक सत्यापन तथा स्थिर परिसंपत्तियों एवं इनवेंटरीज़ के वास्तविक सत्यापन के संबंध में अपेक्षित सुधार तथा हाथ में नकदी तथा बैंक लेखों के मिलान के संबंध में है;
- घ) जैसाकि टिप्पणी सं. 41 में उल्लिखित है सक्रिय उपयोग से हटाई जा चुकी तथा निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की भी पहचान की जा रही है। लेखा मानक 10 का अनुपालन लंबित है;
- ड.) टिप्पणी सं० 47 (i)(सी) दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के रूप में माने गए अल्पकालिक ऋणों पर उत्पन्न विनिमय अंतर के संबंध में है, टिप्पणी सं० 47 (ii), कुछ लेन-देन के निपटान अथवा रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न विनिमय अंतर के संबंध में है जिन्हें अलग से नहीं दर्शाया गया। टिप्पणी सं० 47 (iii) कुछ अंतिम शेष (क्लोजिंग बैलेंस) के संबंध में है जो वर्ष के अंत में एफईडीआई दरों पर नहीं दर्शाए गए तथा पैरा 47 (i)(डी) विनिमय अंतरों के ट्रीटमेंट के संबंध में है जो 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के संबंध में ब्याज लागत के लिए समायोजन माने गए तो विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव संबंधी लेखा मानक-11 के साथ पढ़े जाने वाले ऋण लागत पर लेखा मानक-16 के अनुसार नहीं हैं;
- च) टिप्पणी सं. 50 एवं 51 कुछ स्थानों/स्टेशनों में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने तथा पर्याप्त रिकार्ड रखने से संबंधित है;
- छ) टिप्पणी सं. 52 कुछ मदों को नकद आधार पर लेखांकित किए जाने के संबंध में है;
- ज) टिप्पणी सं. 57 एवं 58 छलपूर्ण लेन-देन से उत्पन्न लंबित लेखांकन समायोजनों के संबंध में है;
- झ) टिप्पणी सं. 60(सी) राजस्व लेखांकन में लंबित विसंगतियों तथा वहन किए गए यात्री संबंधी आंकड़ों के लंबित मिलान और अन्य राजस्व लेखों के संबंध में है;
- ञ) टिप्पणी सं. 60(डी) पूर्व जीएसए से देय राशि के संबंध में है;
- ट) टिप्पणी सं. 60(जी) एअर इंडिया चार्टर लि. के राजस्व शेयर अनंतिम आंकड़ों पर लेखाबद्ध किए जाने के संबंध में है;
- ठ) टिप्पणी सं. 62(xii) तथा (xiii) विमान इनवेंटरी के लंबित मिलान तथा उससे संबंधित अचल इनवेंटरी को निश्चित करने के संबंध में है;
- ड) टिप्पणी सं० 62(xiv) विमानों के बदलाव (modification) से संबंधित कलपुर्जों के संबंध में है (राशि निर्धारित नहीं) जिन्हें इनवेंटरी में दर्शाया जा रहा है जो एएस-10 के साथ पठित एएस-2 के अनुसार नहीं है;
- ढ) टिप्पणी सं. 62(xv) – वर्ष के अंत के दौरान विनिमय अंतर एवं ट्रांसलेशन डिफरेंस को इनवेंटरी संबंधी लेखों को लेखाबद्ध करने के संबंध में;
- ण) टिप्पणी सं० 74 एवं 75 – सहायक कंपनियों द्वारा उठाई गई हानि की गणना न किए जाने के संबंध में है तथा परिणामस्वरूप “निवेश के लिए लेखांकन” संबंधी एएस-13 का अनुपालन किए जाने के लिए इसमें निवेश के मूल्य में हुई कमी का प्रावधान नहीं किया गया है तथा इन सहायक कंपनियों के बकाया अग्रिमों के संबंध में प्रावधान न किए जाने के संबंध में है जबकि इन कंपनियों का नेटवर्थ पूर्णतया समाप्त हो गया है और ये कंपनियां निरंतर हानि उठा रही हैं। कंपनी ने इन कंपनियों को दिए गए अग्रिम पर लगे ब्याज की पहचान की है। इन देयों की वसूली इन कंपनियों के टर्नअराउंड पर निर्भर करती है तथा इनका निश्चित प्रभाव अनिर्धारित बना रहा;
- प) टिप्पणी सं. 77 (ए) व (ई) वेतन बकाया के तदर्थ प्रावधान तथा कर्मचारी के देयों के लंबित लेखांकन के संबंध में है।

14. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि निर्धारित सीमा तक पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हुए, उपर्युक्त पैरा 1 से 13 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनज़र पूर्वावधि समायोजनों को छोड़कर वर्ष के लिए 29,666.6 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शायी गई तथा वर्ष के लिए कर पश्चात् हानि पर संचयी प्रभाव के साथ पूर्वावधि समायोजन 28,425.2 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए तथा उक्त को तुलन पत्र में अग्रेषित करते समय 58,091.8 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए जिससे 5,8091.8 मिलियन रुपए की संचित हानि कम दर्शायी गई, इनवेंटरीज 9,040.7 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गई तथा वर्ष के लिए हानि पर



परिणामात्मक प्रभाव निश्चितता से निर्धारित नहीं किया गया, वर्तमान देयताएं 4,433.9 मिलियन रुपए कम दर्शायी गईं, स्थिर परिसंपत्तियां 12,520.8 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गईं, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां 78,25.7 मिलियन रुपए कम दर्शाई गई हैं, ऋण तथा अग्रिम 11,496.9 मिलियन रुपए अधिक दर्शाए गए तथा आस्थगित कर परिसंपत्ति में शेष शून्य रुपए रहा होगा। टिप्पणी सं. 80 में गणना की गई प्रति शेयर आय यहां दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन है।

DokylQkbM vki lfu; u

हमारी राय तथा सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 'क्वालीफाइड ओपीनियन के लिए आधार' वाले पैराग्राफ में वर्णित तथ्य के प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचना देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं:

- क) तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की स्थिति;
- ख) लाभ एवं हानि खाते के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि; और
- ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।

ekeys dk eglo

- i) जैसाकि टिप्पणी सं. 77 (सी) में उल्लिखित है कंपनी ने धर्माधिकारी रिपोर्ट, जो न्यायाधीन है, का कार्यान्वयन लंबित होने के कारण जुलाई, 2012 से विभिन्न वर्गों को देय भत्तों की 75% राशि का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया है। 6738.8 मिलियन रुपए की राशि के भुगतान न किए गए भत्ते आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए गए हैं।
- ii) जैसाकि टिप्पणी सं. 59 में उल्लिखित है वर्ष के दौरान हमने कंपनी के कुछ चुने हुए विदेशी तथा घरेलू स्टेशनों का दौरा किया। इन दौरों का उद्देश्य इन स्टेशनों में मंटेन किए गए मूल रिकार्डों की समीक्षा तथा उसके लिए स्टेशनों में आंतरिक नियंत्रण की जांच करना था। ये दौरे प्रबंधवर्ग द्वारा अंतिम रूप दिए गए शेड्यूल के अनुसार किए गए थे। लेखा परीक्षित नहीं किए गए अन्य स्टेशनों के लेखे संबंधित स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार कंपनी के समेकित लेखों में सम्मिलित किए गए।
- iii) जैसाकि टिप्पणी सं. 70, 74, 75 तथा अन्य मामलों में उल्लिखित है कि जहां कहीं भी कंपनी ने सहायक कंपनियों/समूह कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन किया है तो इन लेन-देनों में करीबी संबंधों को निर्धारित नहीं किया गया।
- iv) लेखों का भाग के रूप में दी गई टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:
 - क) टिप्पणी सं. 45(सी) वर्ष के दौरान प्रोद्भवन आधार पर 459.7 मिलियन रुपए के ईंधन खपत भत्ते के लेखांकन के संबंध में है जबकि अनुबंध अभी निष्पादित किया जाना है।
 - ख) टिप्पणी सं. 48 वायुदूत लिमिटेड के विलय तथा कंपनी के लेखों में किए गए परिणामात्मक समायोजन के संबंध में है।
 - ग) जैसाकि टिप्पणी सं. 53(जी) में उल्लिखित है कंपनी को स्टार एलायन्स का सदस्य बनना शेष है तथा 639.4 मिलियन रुपए के सदस्यता शुल्क को "ऋण तथा अग्रिम" के अंतर्गत रखा जा रहा है।
 - घ) टिप्पणी सं. 55(डी) तेल मार्केटिंग कंपनियों को दिए गए/दिए जाने वाले 2,373.1 मिलियन रुपए के लंबित भुगतान प्रभारों तथा इस पर टीडीएस की लंबित कटौती और टीडीएस/सेवा कर के विलंबित भुगतान पर 514.6 मिलियन रुपए के ब्याज को "अन्य व्यय" के स्थान पर "वित्तीय लागत" में सम्मिलित किया गया है।
 - ड.) टिप्पणी सं. 73 कंपनी द्वारा दी गई 1269.4 मिलियन रुपए की राशि के संबंध में है जिसे लेखाकरण नीति के अनुसार शेष उपयोगी तकनीकी लाईफ पर परिशोधित किया जा रहा है।
 - च) टिप्पणी सं. 81 एमएसएमई को देय राशि तथा देय ब्याज, यदि कोई है, के संबंध में है जिसका निर्धारण किया जाना शेष है।
 - छ) टिप्पणी सं. 86 कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए जाने के संबंध में है, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी का नेटवर्थ पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उक्त आधार की उपयुक्तता अन्य के साथ-साथ अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार से इक्विटी प्राप्त करने की कंपनी की योग्यता, बेहतर प्रचालनात्मक/वित्तीय निष्पादन तथा सरकार द्वारा अनुमोदित टर्न अराउंड योजना के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।



हमारी राय इन मामलों के संबंध में क्वालीफाइड नहीं है।

vU; oškfud rFk fofu; led viškvkij fjikWZ

1. अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4ए) के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार, भारत द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 4 तथा 5 में उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
2. अधिनियम की धारा 227 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i) क्वालीफाइड ओपीनियन के आधार पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों को छोड़कर हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;
 - ii) हमारी राय में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित नहीं किए गए बिजनेस क्षेत्रों/स्टेशनों/स्थानों सहित से प्राप्त सूचना/विवरणों सम्मिलित करते हुए कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं जैसाकि कंपनी के केन्द्रीय लेखा कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/स्टेशनों में मेंटेन की गई इन खाता बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - iii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा बहियों तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए स्टेशनों/स्थानों से प्राप्त विवरणों के अनुरूप है;
 - iv) "क्वालीफाइड ओपीनियन के लिए" आधार पैराग्राफ में उल्लिखित प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणों में अधिनियम की धारा 211 की उप धारा (3 सी) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 13.09.2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 में दिए गए लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;
 - v) अधिनियम की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 मार्च, 2002 के परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवी.वी सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 274(1) (जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है;
- vi) चूंकि केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 441 (ए) के तहत ऐसी कोई अधिसूचना एवं नियम जारी नहीं किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि किस दर से एवं किस रूप में शुल्क का भुगतान किया जाए, अतः कंपनी पर कोई भी शुल्क लंबित एवं देय नहीं हैं।

कृते एवं की ओर से
vkj- nōhZ dēkj , oa, l kfl , VZ
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 114207डब्ल्यू

कृते एवं की ओर से
diy VMu , M dāuh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000952सी

कृते एवं की ओर से
i hdsdst h ckykl qēf. k e , M , l kfl , VZ
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001547एस

हस्ता./—
Mhds xqrk½
पार्टनर
सदस्यता सं. 009032

हस्ता./—
½kt s k i kj l jkedk½
पार्टनर
सदस्यता सं. 074192

हस्ता./—
½ h l gsk½
पार्टनर
सदस्यता सं. 204602

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014



Lora= ys[k ijh[kd dh fji WZds vuyXud

l el d; d frffk dh gekjh ys[k ijh[kk fji WZdh vU; oSkud rFk fofu; ked viSkv&ij fji WZdsrgr iSk
¼½eamfYyf[kr

1. (क) मात्रात्मक विवरण एवं उनके स्थान सहित संपूर्ण विवरण से संबंधित कंपनी द्वारा रखे गए रोटेबल्स सहित, स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित रिकार्ड अपडेशन की प्रक्रिया में हैं। कंपनी ने कुछ स्थानों पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अभी तक अपडेट नहीं किया है तथा हमें सूचित किया गया है कि इसके लिए प्रक्रिया जारी है। एयरक्राफ्ट रोटेबल्स तथा अन्य स्थिर परिसंपत्तियों के लिए स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ किया जा रहा है।
(ख) कंपनी बारी-बारी से स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करती है जिससे प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सत्यापन हो जाता है। यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान कुछ स्थानों पर ही प्रत्यक्ष सत्यापन कराया गया। सूचित किया गया है कि प्रत्यक्ष सत्यापन की यह प्रक्रिया सुसंगत की जा रही है, इस कारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सम्पत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा सका। 2010-12 तथा 2012-14 की दो वर्षों की अवधि के दौरान पाई गई विसंगतियां लेखांकन कार्रवाई के तहत हैं। लेखांकन नीति का अनुपालन न होने तथा वित्तीय रिकार्ड के साथ उनके प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों का पूर्ण मिलान न होने के कारण हम किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन तथा किसी सीमा तक किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन से मिली किसी सामग्री संबंधी विसंगति को निर्धारित करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी सं.36 देखें)।
(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, गोइंग कन्सर्न मान्यता के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।
- 2) (क) कंपनी में निरंतर आधार पर दो वर्षों में कम से कम एक बार इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने की कार्यप्रणाली है। तथापि इस व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया गया है तथा इनवेंटरी के केवल एक हिस्से का ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा रहा है।
(ख) प्रबंध वर्ग द्वारा निरंतर आधार पर इनवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्यप्रणाली कंपनी द्वारा घोषित लेखांकन नीति के अनुरूप होनी आवश्यक है। वर्ष के दौरान किया गया प्रत्यक्ष सत्यापन बहुत ही कम है और इन्हें और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कंपनी के आकार तथा कार्य व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इनवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया को कवरेज तथा फ्रीक्वेंसी की दृष्टि से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कंपनी ने बाहरी एजेंसियों के पास पड़ी इनवेंटरी के संबंध में पुष्टि/प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं।
(ग) इनवेंटरी रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर हमारी राय में कंपनी द्वारा अंतरित किए गए मूल्य तथा मदों की मात्रा के स्रोत के संदर्भ में नई प्रणाली में विमान संबंधी इनवेंटरी के रिकार्डों को अद्यतन तथा उनमें सुधार किया जाना है तथा गैर-विमान भंडार का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ किया जाना है। स्टोर्स में रखी गई इनवेंटरी तथा उसके उपयोग से संबंधित केन्द्रीकृत रिकार्डों का वित्तीय रिकार्डों के साथ पूरी तरह से मिलान किया जाना आवश्यक है। (टिप्पणी सं. 62 देखें)
बही रिकार्डों की तुलना में इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर पाई गई त्रुटियों का संबंधित विभाग द्वारा की जा रही संवीक्षा के आधार पर मिलान और समायोजन किया जा रहा है और उसके उपरांत लेखा खातों में उसे उचित रूप में दिखाया जाएगा।
- 3) (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार के रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। इसके अंतर्गत सहायक कंपनियों को दिया गया ब्याज सहित अग्रिम सम्मिलित नहीं है जो चालू लेखों की प्रकृति का है तथा जहां पुनः भुगतान की शर्तें भी उल्लिखित नहीं की गई हैं।
(ख) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा दिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना चूंकि कंपनी के हित में नहीं होगा अतः मूल एवं ब्याज की नियमित रूप से प्राप्ति तथा मूल एवं ब्याज की वसूली के लिए उठाए गए उचित कदम जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है। इसमें सहायक कंपनियां सम्मिलित नहीं हैं जिसमें कंपनी



ने सहायक कंपनियों के अग्रिम पर ब्याज प्रभारित किया है जो प्रथम दृष्टि से कंपनी के हित में है तथापि पुनर्भुगतान की अनुसूची में पुनर्भुगतान की शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं अतः कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। साथ ही, चूंकि चालू खाता मेनटेन किया जाता है अतः उस पर मूल या ब्याज की वसूली के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

- (ग) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से किसी प्रकार का रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं लिया है।
- (घ) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा लिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना कंपनी के हित में नहीं है तथा मूल व ब्याज का नियमित रूप से भुगतान जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।
4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का अनुपालन तथा इनवेंटरी स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं के विक्रय के लिए कंपनी के आकार तथा इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप इसे मजबूत किया जाना आवश्यक है। कंपनी, इनवेंटरी, राजस्व खातों, फुटकर देनदार/लेनदार, स्टाफ अग्रिमों एवं कुछ मध्यस्थ लेखों आदि के संबंध में उप लेज़रों का सामान्य लेज़र से मिलान कर रही है (टिप्पणी सं. 29 देखें)। प्रबंध वर्ग को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को दूर करने में मिल रही निरंतर असफलता पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
5. (क) हमारे द्वारा प्रयोग की गई लेखा परीक्षा पद्धति के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 में उल्लिखित कॉन्ट्रेक्ट एवं समझौतों का ऐसा कोई विवरण नहीं है जिसकी इस धारा के तहत बनाए गए अपेक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करने की आवश्यकता है।
- (ख) अतः इस तथ्य पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या इन कॉन्ट्रेक्ट अथवा समझौतों के अनुसरण में किए गए लेन-देन बाज़ार में प्रचलित मूल्यों के संदर्भ में उचित मूल्यों पर किए गए हैं।
6. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक या इस अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान अथवा तदनुसार बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
7. हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के आकार तथा कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष के दौरान बहुत कम आंतरिक लेखा परीक्षा की गई हैं। समय पर निष्पादन, रिपोर्ट करने, अनुपालन, प्रमुख ऑनलाइन स्टेशनों व क्षेत्रीय मुख्यालयों, पंजीकृत कार्यालय तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय तक कार्यक्षेत्र में विस्तार करने, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देने तथा समय पर मॉनीटरिंग करने के लिए इसको आगे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। बहियों में दर्शाए गए अंत शेष की आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से समीक्षा की जानी अपेक्षित है।
8. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड रखने की व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा खातों की हमारी जांच के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, धन कर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के समक्ष जमा कराया है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:
- विदेशी स्टेशनों के संबंध में जिनका हमने दौरा नहीं किया है, चूंकि रिकार्डों को स्टेशनों में रखा जाता है अतः हम इस विषय में टिप्पणी देने में असमर्थ हैं कि देयों को समय पर जमा कराया जाता है अथवा नहीं। जिन विदेशी स्टेशनों का हमने दौरा किया है उनके सांविधिक देयों के खाते मिलान के अधीन हैं।
 - कॉन्ट्रेक्टों/सब कॉन्ट्रेक्टों के कर्मचारियों के कुल 38.14 मिलियन रुपए के भविष्य निधि देय को उनकी पंजीकरण संख्या न होने के कारण अलग बैंक खाते में रखा गया है।
 - कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से स्रोत पर कर कटौती करती है तथा इसे जमा करती है। इसमें तेल कंपनियों को विलंब से किए गए भुगतान पर टीडीएस यदि नहीं काटा गया है तो वह सम्मिलित नहीं है। (टिप्पणी सं. 55



(डी) देखें) तथापि, कंपनी ने कुछ स्थानों पर वर्ष के अंत में देय स्रोत पर कर कटौती का मिलान नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के अंत में किए गए कुछ प्रावधानों पर कर की कटौती नहीं की है।

- कंपनी वसूली योग्य सेवा कर एवं देय सेवा कर का समायोजन कर रही है।
- इनपुट क्रेडिट सहित सेवा कर प्राप्त किया जाता है तथा टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआईएस, प्रोफेशन टैक्स तथा एयरपोर्ट टैक्स के खातों का मिलान किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों में सांविधिक देयों के भुगतान में कुछ विलंब हुआ है। (टिप्पणी सं. 55 एवं 56 देखें)
- दिनांक 31.03.2014 तक कंपनी द्वारा 1,548.4 मिलियन रुपए का अविवादित सेवा कर तथा 139.2 मिलियन रुपए का आयकर देय है जो छह माह से अधिक समय से बकाया है।

जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मिलान न किए जाने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि 31 मार्च, 2014 को उपर्युक्त के संबंध में अन्य किन्हीं अविवादित देयों का भुगतान किया जाना शेष है जो देय तिथि से छः माह की अवधि से अधिक समय से बकाया हों (टिप्पणी सं. 55 व 56 देखें)।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण विक्रय कर, आयकर, सीमा शुल्क, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क अथवा उपकर का देय बकाया नहीं है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :

वर्ष; e dk uke	jk'k #i, fey; u e#	ns lck i zlkj , oaU; k ky; t gla fookn yacr gA
आयकर अधिनियम, 1961	885.8	कंपनी द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त किया गया है जिसकी अपील की गई है।
सीमा शुल्क तथा सेवा कर	4554.8	कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क एवं सेवा कर।
नगर निगम कर/गृह कर	147.9	नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर।

10. संचित हानि कंपनी के निवल लाभ से अधिक हो गई है तथा वर्तमान तथा विगत वित्तीय वर्षों में नकद हानि हुई है, तथापि, कंपनी के लेखे गोईंग कन्सर्न आधार पर इस अनुमान से तैयार किए गए हैं कि कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है और भविष्य में इसके वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 86)।
11. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के देयों के भुगतान में चूक नहीं हुई है। तथापि, तुलन पत्र में दर्शाई गई तिथि को ऋणों पर 356.4 मिलियन रुपए के ब्याज का भुगतान बकाया है। यह भी देखा गया कि वर्ष के दौरान मूल तथा ब्याज के भुगतान में देरी हुई है।
12. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी ने शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूति को गिरवी रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम नहीं दिए हैं।
13. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के कार्य की प्रकृति के कारण कंपनी पर चिट फंड एवं निधि/परस्पर लाभ निधि/समितियों पर लागू कोई विशेष अधिनियम लागू नहीं होते हैं।
14. कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों का कार्य नहीं करती है।
15. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनी के लिए बैंकों से ऋण पर गारंटी दी है। इस गारंटी की शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।



16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आवधिक ऋणों को जिन उद्देश्यों के लिए लिया गया था उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया गया है।
17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी के तुलन पत्र एवं कैश फ्लो की संपूर्ण समीक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रारंभ में कार्यशील पूंजी के लिए, लिए गए अल्पकालिक ऋण की 31 मार्च, 2014 के अनुसार 2,456.4 मिलियन रुपयों की बकाया राशि को दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया गया है।
18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित पार्टियों अथवा कंपनियों को शेयरों का कोई प्रीफरेंशियल आबंटन नहीं किया है।
19. हमको दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए गए।
20. कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धनराशि एकत्रित नहीं की।
21. कोलकाता में निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में टिप्पणी सं. 58 एवं 59 में बताए अनुसार तथा सिडनी स्टेशन में नकद में अंतर तथा वर्ष के दौरान बकाएदार एजेंटों से 373.8 मिलियन रुपए की वसूली योग्य देय राशि जहां बकाए की वास्तविक प्रकृति को अभी निर्धारित किया जाना है, को छोड़कर वर्ष के दौरान कंपनी के बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच भारत में सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखा परीक्षा पद्धतियों का अनुपालन करते हुए की गई और इस दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया या कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में हमें सूचित किया गया।

कृते एवं की ओर से
vkj- nsthz dēkj , oa, l kfl , V1
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 114207डब्ल्यू

कृते एवं की ओर से
diy VMu , M dā uh
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 000952सी

कृते एवं की ओर से
i hdsdst h ckykl qzef. k e , M , l kfl , V1
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन : 001547एस

हस्ता./—
Mhds xqrk½
पार्टनर
सदस्यता सं. 009032

हस्ता./—
kt sk i kj l kedk½
पार्टनर
सदस्यता सं. 074192

हस्ता./—
h l gsk½
पार्टनर
सदस्यता सं. 204602

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014



foÜh; o"Z2013&14 dsfy, l kofekd ys{k ijh{k dh ys{k ijh{k fji k/WZij izæk oxZds mÜkj

Ø- 1 a	ys{k ijh{k fVli . kh	izæk oxZds mÜkj
	<p>हमने एअर इंडिया लि. (कंपनी) के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2014 तक की अवधि का तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते का विवरण व नकदी प्रवाह विवरण तथा सार्थक लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित हैं।</p> <p>foÜh; fooj.k dsfy, izæk oxZ dh ft Eenkj h</p> <p>कंपनी अधिनियम 2013 के खंड 133 के संदर्भ में निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 13.09.2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 211 की उपधारा (3-सी) में उल्लिखित लेखा मानकों (एएस) के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाह की वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंध वर्ग की है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उनकी उचित प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना तथा उनका रिकार्ड रखना सम्मिलित है। ये वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती से मुक्त होते हैं।</p> <p>ys{k ijh{k dh ft Eenkj h</p> <p>लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा वित्तीय विवरण किसी भी व्यापक त्रुटि से रहित हो, अतः हम इस आश्वासन को उचित रूप से पूरा करने के लिए लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करते हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा के तहत वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा प्रकटन के संबंध में लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करनी होती हैं। वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण होने वाली किसी व्यापक गलती के जोखिम के मूल्यांकन सहित प्रक्रिया का चयन लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा उपयुक्त प्रस्तुति के लिए संगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं ना कि कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिससे</p>	<p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p>



Ø- 1 a	yſkk ijhkk fVli . kh	i zāk oxZds mŪkj
	<p>स्थिति की उपयुक्तता के अनुसार लेखा परीक्षा डिज़ाइन की जा सके। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता, प्रबंध वर्ग द्वारा दिए गए लेखांकन आकलनों की उपयुक्तता तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है।</p> <p>हमारा विश्वास है कि हमारे क्वालिफाइड मत को आधार देने के लिए हमने पर्याप्त एवं उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं।</p> <p>DokylQkbM vki lfu; u ds vlekj</p> <p>1. हम रैमको प्रणाली (रैमको) में इनवेंटरी शेषों को अंतरित करने के संबंध में टिप्पणी संख्या 1 (ग) (4), टिप्पणी संख्या 62 के साथ पढ़ने के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं:</p> <p>क) मरम्मतयोग्य मदों को टिप्पणी सं. 62 के साथ पठित टिप्पणी सं. 1 (ग) (4)(ii) में केवल स्क्रेप के समय व्यय में दर्शाया जाता है। अतः मरम्मतयोग्य मदों को जारी करते समय खपत के रूप में प्रभारित नहीं किया जाता है। मरम्मत योग्य मदों को प्रारंभ में जारी करते समय प्रारम्भ में प्रभारित नहीं करने की लेखांकन नीति हमारी राय में स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में एएस-10 के साथ पठित "इनवेंटरी संबंधी एएस-2" के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अंतरण के दौरान जहां भी इनवेंटरी मदों की भारित औसत दर उपलब्ध नहीं थी, वहां इनका मूल्य नवीनतम उपलब्ध भारित औसत दर/कैटलॉग मूल्य पर लगाया गया। नवीनतम भारित औसत/कैटलॉग मूल्य पर भी इन इनवेंटरी का मूल्यांकन एएस-2 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है जिसके अनुसार इसे उसके मूल भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो पर आंका जाना चाहिए। इसके वित्तीय प्रभाव को लेखों में निश्चित नहीं किया गया है।</p> <p>ख) निम्न के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है:</p> <p>i) मूल्यांकनों/मात्रा के संबंध में 316.1 मिलियन रुपयों का अंतर प्रावधान (निर्धारण की सीमा तक) दुरुस्त किया जाना अपेक्षित है (टिप्पणी सं. 62(iii) देखें)।</p> <p>ii) 1181.1 मिलियन रुपयों के मूल्य की इनवेंटरी मदों को प्रत्यक्ष उपलब्धता के आधार पर 'गैर नियोजित आय' के रूप में वर्ष के दौरान रैमको में अंतरित कर दिया गया जिसके लिए प्रत्यक्ष उपलब्धता तथा लागत को साबित करने के लिए पर्याप्त रिकार्ड प्रबंधन के पास नहीं है (टिप्पणी सं. 62(v) देखें)।</p>	<p>यह कथन सही है।</p> <p>लेखांकन नीति के अनुसार मरम्मतयोग्य मदों को जारी करते समय खपत के रूप में प्रभारित नहीं किया जाता है। मरम्मतयोग्य इनवेंटरी का जीवन कंपनी के प्रचालन समय से अधिक होता है तथा इन्हें तब तक पुनः उपयोग में लाया जा सकता है जब तक उनकी मरम्मत किफायती हो। दोनों पूर्व एयरलाइनों एआई तथा आईए की लेखा पद्धतियां अलग-अलग थीं जिन्हें नए रैमको सिस्टम में समन्वित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 2012-13 में इनवेंटरीज के मूल्य में वृद्धि हुई क्योंकि जिन मरम्मतयोग्य मदों को पूर्व सिस्टम के तहत खपत के रूप में लेखांकित किया गया था उन्हें अब इनवेंटरी के रूप में लेखांकित किया गया है। कंपनी में कन्सलटेंट (मैसर्स केपीएमजी) द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर मरम्मतयोग्य इनवेंटरीज के लेखांकन को सुचारु बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में नई प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। जिन इनवेंटरीज का मूल्य निर्धारण करते समय भारित औसत दरें उपलब्ध नहीं थीं उनमें रैमको सिस्टम में भी स्थापित लेखांकन नियमों तथा प्रविधियों के अनुरूप सुधार किया जा रहा है।</p> <p>मूल्य निर्धारण/मात्रात्मक अंतर में सुधार करने की प्रक्रिया के 2014-15 के दौरान पूरा होने की आशा है। यह रैमको सिस्टम में किया जाएगा जिससे रैमको सिस्टम स्थापित लेखांकन नियमों तथा प्रविधियों के अनुरूप हो।</p> <p>"अनियोजित प्राप्तियों" के रूप में रैमको में आगे अंतरित किए गए 1,181.1 मिलियन रुपए का इनवेंटरी शेष संबंधित क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई वास्तविक उपलब्धता पर आधारित है तथा वर्ष 2012 में रैमको में आरंभ में अंतरित नहीं की गई इनवेंटरी को दर्शाता है।</p>



Ø- 1 a	yşkk ijhkk fVli. kh	i zāk oxZdsmlkj
	<p>iii) इनवेंटरी में विमान रोटेबल्स का 19.7 मिलियन रुपयों का अंतर मूल्य सम्मिलित है जिसे दुरुस्त किया जाना अपेक्षित है। (टिप्पणी सं. 62(vi) देखें)</p> <p>iv) आंतरिक मरम्मत कार्य के लिए 3532.4 मिलियन रुपयों के सामान को जारी किया गया जिसके कार्य आदेश समाप्त/पूरा होना/पूर्ण समाप्त/रद्द हो गए हैं तथा इनका समायोजन रैमको में नहीं हुआ है तथा 381.0 मिलियन रुपयों के एक्सपेंडेबल को इसमें सम्मिलित किया गया है। (टिप्पणी सं. 62(viii) देखें)</p> <p>v) 1485.1 मिलियन रुपयों के कुल इनवेंटरी शेष विभिन्न मध्यस्थ खातों में हैं जिनके उपभोग/जारी करने को अद्यतन नहीं किया गया। (टिप्पणी सं. 62(ix) देखें)</p> <p>vi) रैमको में 970.1 मिलियन रुपयों के उपयोग का लेखांकन किया गया किंतु खाता बही (सेप) में इसके विपरीत किया गया जिसका आवश्यक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। (टिप्पणी सं. 62(x) देखें)</p> <p>ग) निःशुल्क प्राप्त मदों, कैनीबलाइज्ड मदों तथा विमान के साथ प्राप्त मदों के निश्चित वित्तीय प्रभाव को इनवेंटरी में लिया गया तथा जिनका नवीनतम भारित औसत लागत पर मूल्य लगाया गया जिनके मूल्य तथा मात्रा में संशोधन किया जाना लंबित है, स्क्रैपेजे लंबित है। तथा जैसा कि टिप्पणी सं. 62 में उल्लिखित है विभिन्न इनवेंटरी संबंधी खातों का लंबित मिलान तथा मरम्मतयोग्य के लेखांकन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन की प्रक्रिया अनिर्धारित रही। अतः इस संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती।</p>	<p>2012-13 में अंतरण प्रक्रिया के दौरान कुछ विमान रोटेबल्स को भी रैमको सिस्टम में अपलोड किया गया था तथा उन्हें भारित औसत लागत/कैटलॉग मूल्य पर इनवेंटरी के रूप में दर्शाया गया। वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रबंध वर्ग ने सुधार प्रक्रिया के दौरान ऐसी मदों की पहचान की जो 5,395.5 मिलियन रुपए की थीं। अतः 5,375.8 मिलियन रुपए के इनवेंटरी समायोजन का प्रावधान किया गया। जब कभी भी किसी प्रकार का सुधार किया जाएगा तो ऐसी किसी भी कमी के लिए लेखांकन में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।</p> <p>वर्ष के अंत में इनवेंटरीज में "आंतरिक/बाह्य कार्य आदेश स्थगन" के तहत किए गए आंतरिक मरम्मत कार्य के अंतर्गत शेष सम्मिलित होते हैं जिसमें वर्ष के अंत में बंद नहीं किए गए जारी कार्य आदेशों के संबंध में जारी सामग्री तथा मरम्मत प्रभार सम्मिलित होते हैं। इन मदों में रैमको सिस्टम में अनुसरण की जा रही लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार उपभोग्य/मरम्मतयोग्य/एक्सपेंडेबल्स सम्मिलित हो सकते हैं। 879.5 मिलियन रुपए के सम्मिलित किए गए एक्सपेंडेबल्स के लिए 498.5 मिलियन रुपए का प्रावधान किया गया तथा जब कभी भी रैमको सिस्टम में कार्य आदेशों को बंद किया जाएगा, शेष मदों के लिए लेखांकन किया जाएगा।</p> <p>इनवेंटरी शेषों का मिलान/सुधार लंबित है, लेखों के विभिन्न मध्यवर्ती शीर्ष के तहत रखे गए कुल 1485.1 मिलियन रुपए के इनवेंटरी शेषों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया जिसके लिए 31.03.2014 तक रैमको में खपत/जारी/स्क्रैपेज को अपडेट नहीं किया गया। जब इन शेषों का मिलान किया जाएगा तो अपेक्षित आवश्यक लेखांकन समायोजन यथासमय किए जाएंगे।</p> <p>खपत आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर 970.1 मिलियन रुपए की मरम्मतयोग्य मदों की खपत को रद्द कर दिया गया जिसमें मरम्मतयोग्य मदों को खपत में प्रभारित किया गया था जो कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप नहीं है।</p> <p>कंपनी द्वारा निःशुल्क तथा कैनीबलाइज की गई मदों तथा विमान के साथ प्राप्त इनवेंटरी की मदों के लेखांकन के संबंध में स्थिति सुधारने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है तथा इस संबंध में नियोजकों के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि ऐसी मदों के संबंध में इनवेंटरी का मूल्य 1/-रुपए लिया जाए।</p>



Ø- 1 a	yſkk ijhkk fVli . kh	i zàk oxZdsmlkj
	<p>घ) जैसाकि टिप्पणी में उल्लिखित है कि रैमको में इनवेंटरी मदों का अंतिम मूवमेंट उपलब्ध नहीं है तथा मात्रा संबंधी सहायक विवरण तथा अंतरित किए गए विवरण को दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा लीगेसी प्रणाली में उपलब्ध मूवमेंट डाटा के आधार पर अचल मदों की पहचान की गई जिसको रैमको से इतर तैयार किया गया। अतः इनवेंटरी के अग्रेषित मूल्य पर उपर्युक्त का प्रभाव निर्धारित नहीं है।</p> <p>ड.) जैसाकि टिप्पणी सं. 62(ii) में उल्लिखित है कि रैमको में शेष अंतरित करने की प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण तथा दस्तावेज अपर्याप्त हैं तथा अंतरण संबंधी लेखा परीक्षा नहीं की गई है। अंतरित इनवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है तथा अंतरण के दौरान आवश्यक लेखांकन क्रिया में पाए गए, अंतर को समायोजित किया जाना शेष है। वर्ष के दौरान अंतरण में मिलान नहीं किए गए अंतर के संबंध में 353.9 मिलियन रुपयों के प्रावधान को रिवर्स कर दिया गया, यद्यपि इसका समाधान अभी किया जाना है। हमारी राय में इस अंतर के प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।</p> <p>च) जैसाकि टिप्पणी सं. 62(xv) में उल्लिखित है, थर्ड पार्टी के साथ इनवेंटरी के संबंध में शेषों की पुष्टि लंबित है। विक्रेता संबंधी खाते, लंबित समाधान तथा सामान/व्यय के प्रति देयता, रैमको में उपलब्ध आंकड़ों की सीमा तक लेखा में दर्ज किए जा रहे हैं। गैर विमान इनवेंटरी शेष के संबंध में सत्यापन, समाधान तथा आवश्यक लेखा समायोजन जो लेखा खातों में दर्ज हैं, वह प्रगति में भी दर्शाए गए हैं जिसमें कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला सटीक प्रभाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।</p> <p>छ) कंपनी के पास फेज़ आउट किए गए सीएफ 6 इंजन के पुर्जों संबंधी 801.3 मिलियन रुपयों की राशि की इनवेंटरी है जिसे अन्य विमानों में प्रयोग के लिए प्रमाणित नहीं किया गया है तथा कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखाकरण नीति के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता है। (टिप्पणी सं. 62(xi) देखें)</p> <p>अतः हमारी राय में वर्ष के अंत में इनवेंटरी में उल्लिखित शेषों के लिए 9040.7 मिलियन रुपए की राशि अधिक दर्शायी गई है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष में 9040.7 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शायी गई है। मात्राओं/मूल्यों में मूल्यांकन/अंतरों के निश्चित प्रभाव निर्धारित नहीं है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है।</p>	<p>प्रबंध वर्ग ने इनवेंटरी के अंतिम मूवमेंट संबंधी आंकड़े जानने के लिए सभी प्रयास किए हैं। रैमको में डाटा अंतरण के आधार पर अचल मदों की पहचान की गई है। पारम्परिक सिस्टम में उपलब्ध आंकड़ों के मूवमेंट के आधार पर अचल मदों की पहचान की गई तथा लेखों में इसके लिए 4,875.6 मिलियन रुपए का पहले ही प्रावधान किया जा चुका है।</p> <p>अंतरित इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन का कार्य अभी जारी है तथा संबंधित क्षेत्रों द्वारा इसके सत्यापन के पश्चात् नोट किए गए अंतरों के लिए आवश्यक लेखांकन कार्रवाई की जाएगी। चूंकि रैमको में ओपनिंग तथा क्लोजिंग शेषों का मिलान हो गया है, अतः 353.9 मिलियन रुपए के प्रावधान को पुनरांकित कर दिया गया।</p> <p>थर्ड पार्टियों के साथ इनवेंटरी के संबंध में शेषों की पुष्टि लंबित है तथा नई विकसित प्रणाली के तहत ऐसे विक्रेता शेषों के लिए प्रावधान तथा मिलान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2014-15 में रैमको सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सैप के साथ रैमको के इंटरफेस से विक्रेता संबंधी मुद्दों का समाधान होगा तथा इससे कंपनी को विक्रेता शेषों के मिलान में सहायता मिलेगी।</p> <p>यह कथन सही है। तथापि अन्य विमानों में इन कल-पुर्जों के उपयोग का पता लगाया जा रहा है अथवा विकल्पतः इन कल-पुर्जों को थर्ड पार्टी कार्यों के लिए सहायक कंपनी एमआरओ में अंतरित किया जाएगा।</p> <p>प्रबंध वर्ग रैमको में शेषों का मिलान कर रहा है तथा चालू कार्य आदेशों, आंशिक डाटा परिवर्तनों (रोटेबल्स इनवेंटरी के रूप में सम्मिलित), विमानों की सुपुर्दगी के समय प्राप्त निःशुल्क, कैनीबलाइज़्ड/कल-पुर्जों के उचित लेखांकन के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर रहा है जिससे इन्हें सही मूल्यों पर रैमको सिस्टम में डाला जाए।</p>



Ø- 1 a	yqkk ijhkk fVli . kh	i xak oxZdsmlkj
	<p>2. जैसाकि टिप्पणी संख्या 79 में उल्लिखित है कि कंपनी के पास 28425.2 मिलियन रुपए की आस्थगित कर परिसंपत्ति का निवल शेष है जिसे वर्ष 2007-2008 एवं 2008-2009 के लेखों में लिया गया था। बाद के वर्षों में, आस्थगित कर परिसंपत्तियों को विवेकपूर्ण उपाय के रूप में केवल आस्थगित कर देयताओं की सीमा तक ही लेखों में लिया गया। चूंकि कंपनी ने लेखा मानक-22 के अंतर्गत अनुबद्ध वास्तविक निश्चितता, आय पर कर, वर्ष 2009-2010 में निश्चित नहीं की थी, अतः आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को वर्ष 2009-2010 के लाभ एवं हानि खाते में डाला जाना चाहिए। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, लाभ एवं हानि के विवरण में पूर्वावधि समायोजन के शेष को 28425.2 मिलियन रुपए कम दर्शाया गया तथा गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत आस्थगित कर परिसंपत्ति के शेष को उतनी ही राशि से अधिक दर्शाया गया। इसके परिणामी प्रभाव के कारण तुलन-पत्र में अग्रणीत "वर्ष की कर पश्चात् हानि" को 28425.2 मिलियन रुपए तक कम दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति को 2889.7 मिलियन रुपए की आस्थगित कर देयता तक लेखे में लिया गया। यद्यपि प्रबंध वर्ग उपर्युक्त टिप्पणी संख्या 79 में दिए गए विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किए जा रहे टर्न अराउंड उपायों के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली को लेकर आश्वस्त है, तथापि प्रबंध वर्ग द्वारा अपेक्षित उसके प्रभाव को निर्णायक रूप से माना नहीं जा सकता और इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम इस</p>	<p>प्रबंध वर्ग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में इनवेंटरी के रूप में दर्शाए गए 5,395.5 मिलियन रुपए के रोटेबल्स की पहचान तथा सुधार भी किया। इसी प्रकार, बाद में मूल्य/मूल्य निर्धारण अंतरों के लिए प्रावधान किया गया/सुधार किया गया। कंपनी ने इनवेंटरी प्रबंधन तथा नियंत्रण की पूरी प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए बाह्य परामर्शदाताओं की भी नियुक्ति की है जिससे वर्तमान कार्य पद्धतियों के लिए सर्वोत्तम मानदंड बनाए जा सकें। साथ ही आर्डरिंग के सिस्टम को युक्तिसंगत बनाया जा सके। रैमको प्रणाली को 5.7 वर्जन में भी अपग्रेड किया जा रहा है। प्रबंध वर्ग वास्तविक सत्यापन तथा इनवेंटरी के मूल्यांकन के संबंध में अंतरण के दौरान/अंतरण के पश्चात् पाए गए अंतरों के संबंध में सुधार सुनिश्चित करने तथा उचित लेखांकन कार्रवाई करने के लिए भी कदम उठा रहा है। इसके दृष्टिगत प्रबंध वर्ग का विचार है कि यदि कहीं राशि अधिक दर्शायी जा रही है तो उसमें यथासमय सुधार किया जाएगा। प्रबंध वर्ग ने इसके लिए पहले ही प्रावधान किया है जो इनवेंटरी के मूल्य से 40 प्रतिशत अधिक है जो ऐसी विसंगतियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।</p> <p>लेखा परीक्षकों ने वार्षिक लेखों में इस मुद्दे पर वर्ष 2009-10 एवं 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 में पहले ही ध्यान आकर्षित किया था। डीटीए वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 में बनाए गए प्रावधान से संबंधित है जब विमानन उद्योग उच्च ईंधन लागत, वैश्विक मंदी और न्यूनतम लाभ के कारण गंभीर संकट से गुजर रही थी।</p> <p>पिछले तीन वर्षों में कंपनी ने अपने वित्तीय तथा प्रचालनात्मक निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। इन उपायों के फलस्वरूप कंपनी की वर्ष 2012-13 में ईबीआईडीटीए पॉजिटिव हो गई है तथा 2013-14 में भी इसे सकारात्मक बनाए रखा गया। वर्ष 2007-08 एवं 08-09 में सृजित डीटीए को कंपनी में वापिस लागू करना, निष्पादन में सुधार के कारण इस परिस्थिति में सही नहीं होगा जिससे प्रबंधन की टर्नअराउंड योजना (टीएपी), जिसका लक्ष्य समयोचित समयावधि में लाभप्रदता प्राप्त करना है, को कार्यान्वित करने में विश्वास की कमी प्रदर्शित होगी।</p> <p>पिछले तीन वर्षों में प्रबंधन द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप, वर्ष 2013-14 के दौरान समय पर निष्पादन (ओटीपी), यात्री लोड फैक्टर, विमान बेड़े का उपयोग, विमानों की उपलब्धता के संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ, दिनांक 01.07.2012 से पीएलआई की समाप्ति, मार्गों को युक्तिसंगत बनाए जाने तथा हानि वाले मार्गों को बंद किए जाने, सहायक कंपनियों को प्रचालनात्मक किए जाने,</p>



Ø- 1 a	yşlk ijhkk fVli . kh	i zàk oxZdsmlkj
	<p>निर्णय पर पहुंचें कि क्या एएस-22 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित वास्तविक निश्चितता है। अतः हम आवधिक रूप से पहचानी गई आस्थगित कर परिसंपत्तियों की प्राप्यता के संबंध में अपनी राय देने में असमर्थ हैं। वर्ष के लिए हानि पर उपर्युक्त के समूचे प्रभाव, को निश्चित नहीं किया जा सकता।</p>	<p>परिसंपत्ति मौद्रीकरण कार्यक्रम को लागू करने, नेटवर्क योजना तथा हब नियंत्रण से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का अपग्रेडेशन, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू मार्गों पर 787 विमानों से प्रचालन शुरू करने तथा पुराने विमान बेड़े को ग्राउंड किए जाने, डीपीई के मानकों के अनुसार वेतन संरचना को युक्तिसंगत बनाए जाने आदि जैसे कुछ उपाय लाभप्रदता को बेहतर बनाने के लिए किए गए।</p> <p>भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 60,000.0 मिलियन रुपए की राशि प्रदान की और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 52,800.0 मिलियन रुपए प्रदान किए। वर्ष 2011-12 से दिसम्बर, 2014 तक भारत सरकार 180,000.0 मिलियन रुपए दे चुकी है। भारत सरकार द्वारा टीएपी/एफआरपी के अनुसार कुछ निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर इक्विटी प्रदान करने की प्रतिबद्धता से नागर विमानन मंत्रालय द्वारा कंपनी को बता दिया गया है।</p> <p>विलय के पश्चात् जुलाई, 2014 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जब एअर इंडिया को प्रतिष्ठित स्टार एलायंस समूह में सदस्य के रूप में प्रवेश मिला। इससे 21900 उड़ानों से 1328 गंतव्यों के लिए संपर्क सहित अनेक लाभ मिलेंगे।</p> <p>टीएपी में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में एअर इंडिया के कार्य निष्पादन को सूक्ष्मता से मॉनीटर करने के उद्देश्य से एक निगरानी समिति गठित की गई जिसमें सचिव, नागर विमानन, व्यय सचिव, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 के प्रथम 9 महीनों में कंपनी का कार्यनिष्पादन काफी हद तक टीएपी में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप रहा।</p> <p>इन उपायों के फलस्वरूप कंपनी को विश्वास है कि वह टर्नअराउंड योजना में निर्धारित लक्ष्यों और वर्ष 2018 में कैश पॉजीटिव तथा 2020 तक कर पश्चात् लाभ (पीएटी) में वापसी के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी।</p> <p>अतः प्रबंधन 28425.2 मिलियन रुपए की शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियों के उपयोग के लिए आश्वस्त है जिसकी 2007-08 तथा 2008-09 में विलय के प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान भविष्य की कर देयताओं के रूप में पहचान की गई थी। सावधानी के तौर पर कंपनी ने 2009-10 से आस्थगित कर देयताओं (डीटीएल) से अधिक आस्थगित कर परिसम्पत्तियों (डीटीए) की पहचान बंद कर दी है अर्थात् आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की पहचान आस्थगित कर देयताओं के बराबर ही की जाती है।</p>



Ø- 1 a	yŝlk ijhŝlk fVli. lh	i zāk oxZds mŭkj
	<p>3. जैसा कि टिप्पणी सं. 28 में उल्लिखित है कंपनी को पूंजीकृत सैप की लागत को अपने खातों में तथा अनुरक्षण प्रभारों को सहायक कंपनियों में विभाजित करना अभी शेष है जहां सैप को कार्यान्वित किया जा रहा है या कार्यान्वित कर दिया गया है अतः इसका प्रभाव निश्चित नहीं किया गया है। कुछ मामलों में अंतरण लेखा परीक्षा का लेखाकरण ट्रीटमेंट अभी भी लंबित है। अतः इसका प्रभाव निश्चित नहीं किया गया है।</p> <p>4. जैसाकि टिप्पणी सं. 33(ख) में उल्लिखित है कंपनी के हक में वसंत विहार की संपत्ति कंपनी के खाते में 51295.1 मिलियन रुपए के मूल्य की लीज़ होल्ड संपत्ति के रूप में दर्ज है जिसकी लीज़ डीड निष्पादित नहीं की गई है तथा कंपनी के हक का नियमितिकरण लंबित है। नियमितिकरण प्रभारों/देय जुर्माना, यदि कोई है, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी राशि निश्चित नहीं है। लेखों में परिसंपत्तियों का कैरिंग मूल्य कंपनी के हक के विनियमितिकरण के अधीन है तथा चूंकि मामला सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित है अतः उसका वित्तीय विवरणों में प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। देय अनर्जित वृद्धि का प्रभाव, यदि है, तो निश्चित नहीं है।</p> <p>5. जैसाकि टिप्पणी सं. 33(घ) में उल्लिखित है कंपनी में नेरूल, नवी मुंबई की भूमि में निर्मित 508 फ्लैटों में से 332 फ्लैट बेच दिए हैं। यद्यपि बेचे गए फ्लैटों के अधिकारों, ब्याज तथा कब्जे संबंधित सदस्यों के पक्ष में कर दिए गए हैं, संपत्ति को स्थिर परिसंपत्तियों के सकल ब्लाक के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है तथा मूल्यहास को संयुक्त लागत पर प्रभारित किया जा रहा है। इस स्थानांतरण से हुई कर देयता यदि कोई है तो उसकी संगणना</p>	<p>कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रचालनात्मक तथा वित्तीय क्षमताओं में सुधार लाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों (भारत सरकार तथा नियामक के सहयोग से) के कारण कंपनी की योजना निकट भविष्य में सतत लाभ कमाने की है जिससे संचित हानि की क्षतिपूर्ति हो जाएगी।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>कंपनी वसंत विहार, नई दिल्ली में स्थित आवासीय कालोनी के लिए लीज़होल्ड सम्पत्ति के संबंध में सम्पत्ति अधिकारों के नियमन एवं बहाली के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) का निरन्तर अनुसरण कर रही है।</p> <p>सम्पत्ति के नियमन तथा लीज़ की बहाली के लिए एक स्वतंत्र परामर्शदाता मैसर्स मुनीश वर्मा एवं एसोसिएट्स को भी नियुक्त किया गया है। 9 अक्टूबर, 2014 को आयोजित एक बैठक में एअर इंडिया को सूचित किया गया कि चूंकि आबंटन 1983 में रद्द हो गया था, अतः भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा अप्राधिकृत व्यावसायिक प्रभार लिए जा सकते हैं। भूमि एवं विकास कार्यालय की अपेक्षानुसार एअर इंडिया के प्रबंध वर्ग ने एअर इंडिया आवासीय कालोनी में निर्मित भवनों की मंजूरी प्राप्त सभी योजनाओं के साथ नगर निगम दिल्ली (एमसीडी/दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा अनुमोदित मास्टर लेआउट योजना प्रस्तुत कर दी है। नागर विमानन मंत्रालय स्तर पर भी मामले का अनुसरण किया जा रहा है। एअर इंडिया भी भूमि एवं विकास कार्यालय को भूमि किराया तथा दिल्ली नगर निगम को सम्पत्ति कर नियमित रूप से अदा कर रहा है।</p> <p>उपर्युक्त के मद्देनजर प्रबंध वर्ग कुछ क्षति प्रभारों तथा उचित व्यावसायिक प्रभारों का भुगतान कर 2014-15 में इस मुद्दे का नियमन करने तथा लीज़ डीड एअर इंडिया के पक्ष में पुनः बहाल करने के प्रति विश्वस्त है।</p> <p>कंपनी को स्टाफ आवासीय परिसर विकसित करने के लिए 100,021.60 वर्ग मीटर भूमि नेरूल, नवी मुंबई में आबंटित की गई है। 28626 वर्ग मीटर भूमि में 508 फ्लैटों का निर्माण किया गया है तथा इनमें से कुछ फ्लैट कंपनी के कर्मचारियों को बेचने का निर्णय लिया गया है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय (द कोर्ट) के आदेशों के संदर्भ में कंपनी ने निर्मित 508 फ्लैटों में से 332 आबंटियों को आबंटन पत्र जारी किए हैं।</p>



Ø- l a	yŝlk ijhŝlk fVli . kh	i zāk oxZds mŭkj
	<p>नहीं की गई है तथा उसको लेखों में दर्ज नहीं किया गया है। चूंकि बेचे गए फ्लैटों के स्थानांतरण अधिकार पूरे हो गए हैं, हमारी राय में बेचे गए फ्लैटों के आवश्यक लेखा प्रभावों को लेखों में दर्ज किया जाना आवश्यक है। तथापि टिप्पणी में बताए गए कारणों को देखते हुए उपरोक्त के निश्चित प्रभाव को निर्धारित नहीं किया गया है अतः इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती।</p>	<p>न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में आबंटित किए गए फ्लैटों के लिए सिडको को देय अतिरिक्त प्रीमियम की पूरी राशि कर्मचारियों से लेकर सिडको को दी गई। कंपनी ने सिडको से एनओसी की प्राप्ति के पश्चात् 280 फ्लैटों का भौतिक स्वामित्व सौंप दिया है। दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के पत्र संदर्भ संख्या एमवीके/सीओआरपी/एआई/121/2014 के माध्यम से प्राप्त कानूनी मतानुसार, कंपनी ने आबंटन पत्र तथा फ्लैट सेल डीड्स के सम्पादन तथा पंजीकरण के पश्चात् प्राप्त स्वामित्व पत्र के माध्यम से केवल अधिकार दिया है तथा संबंधित सदस्यों के पक्ष में फ्लैटों का केवल वास्तविक तथा मौखिक स्वामित्व सौंपा है। तथापि पंजीकृत सोसाइटियों के पक्ष में स्वामित्व के लंबित सीमांकन एवं हस्तांतरण के कारण एअर इंडिया के पास ही सम्पत्ति का स्वामित्व है। मूल सम्पत्ति के कानूनी स्वामित्व का हस्तांतरण केवल संबंधित पंजीकृत सोसाइटी, एअर इंडिया तथा सिडको के बीच त्रिपक्षीय हस्तांतरण डीड द्वारा किया जा सकता है। चूंकि स्वामित्व के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, अतः भूमि की लागत तथा निर्माण की लागत सहित नेरूल में संपत्ति की लागत को स्थिर परिसंपत्तियों में दर्शाया जा रहा है तथा मूल्यहास निर्धारित लेखांकन नीति के अनुसार प्रभारित किया जा रहा है। संपत्ति के हस्तांतरण पर यदि कोई कर है तो उसे निश्चित नहीं किया गया है। इन औपचारिकताओं के पूरा होने पर लेखा बहियों में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टियां की जाएंगी। नहीं बिके फ्लैटों के लिए सिडको को देय अतिरिक्त प्रीमियम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया क्योंकि इन फ्लैटों के लिए अभी आबंटियों का निश्चय नहीं हुआ है। अतिरिक्त भूमि के अविकास के लिए सिडको को देय 270.7 मिलियन रुपए के अतिरिक्त लीज़ प्रीमियम को भूमि लागत के अंतर्गत पूंजीबद्ध किया गया। कंपनी शेष खाली भूमि क्षेत्र के विकास/विक्रय के लिए सिडको के साथ विचार-विमर्श भी कर रही है।</p>
6.	<p>सहायक कंपनी में विभिन्न शेषों में/कुछ स्थानों में अन्य परिसंपत्तियों/देयताओं/आय/व्यय लेखों में डेबिट/क्रेडिट के मिलान सहित पुष्टि तथा मिलान एवं टीडीएस/सेवा कर, मध्यस्थ/ट्रांज़िटररी लेखों के लंबित मिलान के संबंध में जैसाकि टिप्पणी सं. 29,37,38,53 से 55, 60 से 67, 70 तथा 74 में उल्लिखित है, विभिन्न इनवेंटरी संबंधी विक्रेताओं के लेखों तथा अन्य लेखों का मिलान भी लंबित है तथा उनका पुराने/सैप डाटा के साथ संकलन एवं मिलान किया जा रहा है। इनवेंटरी मदों का वर्षान्त शेष तथा वर्ष के दौरान खपत को रैमको से उत्पन्न रिपोर्टों के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है जिनका लेखों के साथ मिलान होना है। सैप में अंतरित स्थिर परिसंपत्तियों/रोटेब्ल मदों के शेष का भी</p>	<p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p>



Ø- 1 a	yqk ijhkk fVli . kh	i xāk oxZdsmlkj
	<p>मदवार समाधान किया जा रहा है। टिप्पणी में उल्लिखित विभिन्न राजस्व संबंधी लेखों का समाधान भी अभी लंबित है। हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे शेषों का मिलान/पुष्टिकरण के कारण उत्पन्न समायोजन के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को निश्चित नहीं किया जा सकता है।</p> <p>7. जैसाकि टिप्पणी सं. 42 में उल्लिखित है कंपनी को लेखा मानक-28 की अपेक्षाओं के अनुरूप क्षति मूल्यांकन करना शेष है तथा विमान बेड़े के क्षति मूल्यांकन लंबित होने से 43,997,1 मिलियन रुपए की राशि के विनिमय अंतर को पूजीबद्ध किया गया है। जैसाकि टिप्पणी सं. 44(ख) में उल्लिखित है, कुछ विमानों की तुलन-पत्र तिथि के पश्चात बिक्री/लीज हेतु पहचान की गई लेकिन क्षति का मूल्यांकन नहीं किया गया। क्षति के कारण समग्र प्रभाव निर्धारित नहीं किया गया, अतः इस संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती।</p> <p>8. जैसाकि टिप्पणी सं. 46 में उल्लिखित है कि विमानों की डिलीवरी के समय प्राप्त 1545.4 मिलियन रुपए की राशि के निर्माता तथा आपूर्तिकर्ता क्रेडिट हकदारी को स्थिर परिसंपत्तियों संबंधी लेखा मानक-10 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित करने के स्थान पर आकस्मिक राजस्व में दर्शाया गया है। अतः इतनी हानि भी कम दर्शायी गई है। वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यहास पर निश्चित प्रभाव की गणना नहीं की गई है, इसलिए यह निर्धारित नहीं है। टिप्पणी सं. 1 (सी) (5) में उल्लिखित लेखा नीति लेखा मानक-10 के अनुरूप नहीं है।</p> <p>9. जैसाकि टिप्पणी सं. 43 में उल्लिखित है सर्व फ्राम इंडिया स्कीम के तहत अप्रयुक्त शुल्क क्रेडिट हकदारियों के शेष की 6934.2 मिलियन रुपयों की राशि को वित्तीय विवरणी में वसूली योग्य नकद या प्रकार के रूप में अग्रपिष्ट किया जा रहा है। चूंकि इन स्क्रिप्स की अवधि समाप्त हो गई है तथा इनका विधिमाम्यकरण किया जाना है, लेखों में 6736.4 मिलियन रुपयों का अग्रनित शेष (carrying balance) का प्रावधान</p>	<p>प्रबंध वर्ग ने शेष तीन 777-200 एलआर विमानों को बेचने/लीज पर देने का निर्णय लिया है क्योंकि उच्च ईंधन लागत के कारण इन विमानों का प्रचालन में घाटा हो रहा था। इन विमानों को 2009 में अर्जित किया गया था तथा इनका प्रचालन नॉन-स्टॉप यूएस मार्ग पर किया जा रहा था। तथापि एआई उन कुछ एयरलाइनों में से एक है जिसने बहुत अधिक लंबी दूरी के मार्गों पर प्रचालन के लिए अपने विमान बेड़े में लंबी दूरी के विमान शामिल किए थे।</p> <p>प्रबंध वर्ग के मतानुसार इन परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है तथा सात वर्षों की अवधि के लिए इन विमानों को लीज पर देने के लिए एक एयरलाइन के साथ गंभीर रूप से बातचीत चल रही है। लीज किराए पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है जिससे ऋण चुकौती तथा ब्याज लागत के एक बड़े भाग की पूर्ति हो जाती है।</p> <p>विमान मूल्यांकनकर्ताओं एवीआईटीएस तथा एसीसीईएनडी द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इन विमानों का बाजार मूल्य 101 मिलियन अमरीकी डॉलर से 105 मिलियन अमरीकी डॉलर के बीच है जो विमानों के लिखित मूल्य के बराबर है। अतः विमान के मूल्य में कमी के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।</p> <p>निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट मुख्यतः 787 विमान से संबंधित है जो 2012 से विमान बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं। चूंकि इन विमानों को एसएलबी मैकेनिज़्म के तहत सेल व लीज बैक किया जा रहा है, अतः इन क्रेडिट को परिसंपत्ति की लागत के रूप में समायोजित नहीं किया जा सकता है तथा इन्हें आकस्मिक राजस्व के भाग के रूप में लिया गया है। अतः कंपनी लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों से सहमत नहीं है।</p> <p>कंपनी के पास 6,735.4 मिलियन रुपए राशि की एसएफआईएस स्क्रिप्स हैं, जिनकी वैधता जून तथा सितम्बर, 2014 में समाप्त हो चुकी है। कंपनी इसके लिए पहले ही नागर विमानन मंत्रालय से संपर्क कर चुकी है जिससे इन स्क्रिप (scrip) की वैधता 24 माह तक बढ़ाने के लिए डीजीएफटी के कार्यालय के साथ यह मामला उठाया जा सके तथा साथ ही सेवा कर के भुगतान तथा/अथवा</p>



Ø- 1 a	yſkk ijhkk fVli . kh	i zāk oxZdsmlkj
10.	<p>किया जाना है (तुलन पत्र की तिथि के बाद निवल उपयोग) इसके अतिरिक्त कंपनी ने वर्ष 2007-08 के 4735.9 मिलियन रुपए की राशि के एसएफआईएस दावा को लेखों में दर्ज किया है जबकि कंपनी के दावे की स्वीकृति की कोई पुष्टि नहीं हुई है तथा स्क्रिप्स (scrips) भी अभी जारी की जानी हैं। हमारी राय में कंपनी का इन स्क्रिप्स पर दावा अभी स्वीकृति के अधीन है, इसलिए इसका "असाधारण मद" के रूप में प्रकटीकरण, राजस्व प्रकटीकरण पर एस-9 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।</p> <p>जैसाकि टिप्पणी सं. 44(क) में उल्लिखित है दो विमानों बी 777-200 एलआर की बिक्री के कारण हुई 2,779.5 मिलियन रुपयों की राशि की हानि को लेखों में दर्ज नहीं किया गया है जबकि इन विमानों का सक्रिय प्रयोग बंद हो गया तथा वह निपटान के लिए रखे हुए थे। इन विमानों को निवल रीलाइजेबल मूल्य पर अधिशेष परिसंपत्तियों के रूप में उल्लिखित किया जाना अपेक्षित है तथा परिणामी हानि को लेखों में दर्ज किया जाना चाहिए।</p>	<p>एफआईएस को हस्तांतरणीय/व्यापार योग्य बनाने के लिए कंपनी को एसएफआईएस के उपयोग की अनुमति दी जा सके।</p> <p>मुंबई तथा पश्चिम बंगाल में उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ परामर्श से एटीएफ पर देय उत्पाद शुल्क के लिए इन स्क्रिप्स के समायोजन का मैकेनिज़्म स्थापित किया गया है। तथापि, कंपनी जब तक सभी अनुमोदन प्राप्त करती, अधिकांश स्क्रिप्स की वैधता समाप्त हो चुकी थी। जिन स्क्रिप्स की वैधता अब तक समाप्त हो चुकी है उनकी वैधता अवधि बढ़ाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने पहले ही डीजीएफटी के कार्यालय में 11 नवम्बर, 2014 को एक विस्तृत केबिनेट नोट का मसौदा भेज दिया है। प्रबंध वर्ग आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् यथासमय इन स्क्रिप्स के पुनः वैधीकरण के लिए विश्वस्त है।</p> <p>इन स्क्रिप्स का प्रमुख रूप से उपयोग एटीएफ के घरेलू स्रोत के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए किया जाएगा। कंपनी स्क्रिप्स की कुछ राशि अपनी उन समूह कंपनियों/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के लिए अंतरित करने की योजना बना रही है जो अपने उपयोग के लिए अगले दो वर्षों में पूंजीगत उपकरण एवं मशीनरी आयात करने तथा कल-पुर्जो पर सामान्य सीमा-शुल्क के भुगतान की भी योजना बना रही है।</p> <p>जहां तक 4,735.9 मिलियन रुपए के 2007-08 के दावे का संबंध है, कंपनी ने स्क्रिप्स की प्राप्ति को लंबित रखते हुए इसे अक्रूअल आधार पर लेखांकित किया है। चूंकि आवेदन पर कार्यवाही जारी है अतः प्रबंध वर्ग विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के कार्यालय से यथासमय इन स्क्रिप्स की प्राप्ति के लिए विश्वस्त है।</p> <p>प्रबंध वर्ग का विचार है कि पांच बी 777-200 एलआर विमानों का विक्रय, 336.5 मिलियन अमरीकी डॉलर राशि के गारंटी प्राप्त ऋणों की चुकौती के संदर्भ में कंपनी के लिए लाभप्रद रहा क्योंकि इससे ब्याज लागत तथा भविष्य में इन विमानों की अनुरक्षण लागत में कमी आई। इन पांच विमानों के विक्रय के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की संभावित बचत का अनुमान है (गारंटी प्राप्त ऋण चुकौती तथा ब्याज के लिए 60 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा अनुरक्षण के लिए 20 मिलियन अमरीकी डॉलर) इंजन जीई के साथ पावर बाई द आवर व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं।</p> <p>कंपनी ने मार्च, 2014 से पूर्व स्वामित्व हस्तांतरण किए गए 3 विमानों को हानि के लिए लेखांकित किया है। शेष 2 विमानों का स्वामित्व हस्तांतरण अप्रैल/मई, 2014 में किया गया। अतः उक्त हानि वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखांकित की जाएगी।</p>



Ø- 1 a	yşlk ijh{kk fVli . kh	i zāk oxZds mŪkj
11.	<p>निम्न के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया :</p> <p>क) 25,24.9 मिलियन रुपयों का विभेदक गारंटी शुल्क (Differential Guarantee fee) जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन अभी प्राप्त करना शेष है (टिप्पणी सं. 31 देखें);</p> <p>ख) 24.6 मिलियन रुपयों की नेरूल भूमि की खरीद के लिए अग्रिम बकाया जिसमें लीज़ डीड निष्पादित करना, कब्जा सौंपना लंबित है तथा प्लॉट पर अतिक्रमण किया गया है (टिप्पणी सं. 35 देखें);</p>	<p>इन विमानों को अतिरिक्त परिसंपत्तियों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि विक्रय समझौते में सहमत डिलीवरी शर्तों को पूरा करने के लिए अपेक्षित एयरफ्रेम/इंजनों की प्रमुख जांच किए जाने के कारण इन विमानों को ग्राउंड किया गया था तथा इससे पूर्व इन विमानों का उपयोग अनुसूचित उड़ानों के लिए किया जा रहा था।</p> <p>अतः 2 बी 777-200 एलआर विमानों के विक्रय के कारण हुई 2779.5 मिलियन रुपए की हानि के लिए 2013-14 के लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया।</p> <p>कंपनी ने नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से वित्त मंत्रालय के साथ सभी सरकारी गारंटी प्राप्त ऋणों पर गारंटी शुल्क में छूट के मुद्दे को उठाया था।</p> <p>टीएपी तथा एफआरपी की निगरानी समिति बैठकों के दौरान भी इस विषय पर चर्चा की गई तथा इसे ध्यान में लाया गया था।</p> <p>कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 की अवधि के लिए सभी सरकारी गारंटियों पर 0.2 प्रतिशत के शुल्क का प्रावधान किया है। पिछले वर्षों में किए गए 1062.9 मिलियन रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को 2013-14 में पुनरांकित किया गया।</p> <p>वित्त मंत्रालय ने नागर विमानन मंत्रालय को लिखा है कि उपयुक्त अंतर मंत्रालयी परामर्शों के पश्चात् मामले को निर्णय के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाए। कंपनी विश्वस्त है कि मंत्रिमंडल नागर विमानन मंत्रालय के प्रस्ताव के पक्ष में विचार करेगा क्योंकि कंपनी में वित्तीय पुनर्संरचना योजना चल रही है जिसमें सरकार कंपनी में सक्रिय रूप से इक्विटी लगा रही है। अतः गारंटी शुल्क की शेष राशि अर्थात् 0.5 प्रतिशत-1.5 प्रतिशत के बीच का अंतर तथा 2524.9 मिलियन रुपए की 0.2 प्रतिशत राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने सरकार द्वारा प्रभारित किए जाने विलम्बित भुगतान, यदि कोई है, के लिए अतिरिक्त गारंटी शुल्क के लिए 3819.4 मिलियन रुपए आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए हैं।</p> <p>यह कथन सही है।</p>



Ø- 1 a	yŝk i jh{k fVli . kh	i zāk oxZds mŭkj
	<p>ग) पैक्स क्रेडिट विक्रय (मध्यवर्ती लेखा) में 500.7 मिलियन रुपए का डेबिट शेष लेखों में दिखाए गए अधिक राजस्व या अधिक देयता को दर्शाता है (टिप्पणी सं. 60(ख) देखें);</p> <p>घ) एअर इंडिया बिल्डिंग में विभिन्न किराएदारों के 3 वर्षों से पुराने से 370.2 मिलियन रुपयों तक की देय राशि (टिप्पणी सं. 60(ड.) देखें);</p> <p>ड.) लेखों के मिलानाधीन होने के कारण सेवा कर के विलंबित भुगतान के लिए देय जुर्माना तथा ब्याज (राशि अनिर्धारित) (टिप्पणी सं. 55(ड.) देखें);</p> <p>च) नागर विमानन मंत्रालय के पत्र के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को देय 1408.3 मिलियन रुपयों का ब्याज; (टिप्पणी सं. 66(क) देखें)</p> <p>छ) विलंबित भुगतान के कारण विभिन्न विमानपत्तन प्राधिकरणों को देय ब्याज जो कंपनी के अनुसार विवादित है अतः सही देय राशि निर्धारित नहीं है (टिप्पणी सं. 63 से 67 देखें);</p> <p>ज) जस्टिस धर्माधिकारी कमेटी की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण जहां रिपोर्ट कार्यान्वित हो गई है वहां कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ के एक्लूअल से पड़ने वाला प्रभाव क्योंकि इसकी गणना पृथक रूप से नहीं की गई है। एएस-15 के अंतर्गत किए गए खुलासे का परिणामी प्रभाव भी निश्चित नहीं किया गया है (टिप्पणी सं. 77(ग) देखें)।</p>	<p>कंपनी वर्ष के दौरान उड़ान भरने वाले यात्रियों के आधार पर राजस्व निर्धारित करती है तथा शेष टिकटों जिन पर उड़ान नहीं भरी गई उन्हें वर्ष के अंत में देयता के रूप में लिया जाता है। मध्यवर्ती लेखे यात्री क्रेडिट विक्रय के तहत 500.7 मिलियन रुपए (डीआर) का शेष है जिसका मिलान किया जाना आवश्यक है तथा इसलिए ऐसे शेष के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया।</p> <p>मध्यस्थता निर्णय/न्यायालय निर्णय कंपनियों के पक्ष में होने के आधार पर मुकदमों के संबंध में किए गए प्रावधानों को वर्ष 2012-13 में पुनरांकित किया गया तथा इन्हें अब वसूली योग्य माना जाता है।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>कंपनी मायल/डायल/हायल तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपने देयों पर ब्याज के भुगतान की अपनी देयता का निरंतर विरोध कर रही है। यह इस आधार पर किया गया कि इन संस्थानों द्वारा प्रभारित ब्याज कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा कंपनी में चल रही वित्तीय पुर्सरचना योजना को देखते हुए पूरी तरह असंगत है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार से एअर इंडिया को इक्विटी मिलने में विलंब के कारण एअर इंडिया को बहुत अधिक ऋणों के कारण अतिरिक्त ब्याज प्रभार देना पड़ता है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, इन प्राधिकारियों को एअर इंडिया द्वारा देयों के भुगतान में विलंब के परिणामस्वरूप उनको हो रही आर्थिक हानि का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।</p> <p>ऐसे किसी भी प्रभार से बचने के लिए कंपनी ने डायल, मायल तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में, आयटा वीएसपी देयों से यूडीएफ/डीएफ/पीएसएफ प्रभारों के भुगतान के लिए एस्करो लेखे बनाए हैं। ये एस्करो लेखे एयरपोर्ट प्राधिकारियों को देय बकाया को कम करने तथा सांविधिक देयों के संबंध में इसे करेन्ट बनाने में महत्वपूर्ण रूप से मदद करेंगे।</p> <p>जस्टिस धर्माधिकारी समिति (जेडीसी) की सिफारिशें 01 अक्टूबर, 2014 से सामान्य वर्ग के लगभग 3200 अधिकारियों के लिए कार्यान्वित कर दी गई हैं। शेष कर्मचारियों के संबंध में उक्त के कार्यान्वयन के लिए प्रबंध वर्ग तथा विभिन्न यूनियनों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है। नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किए गए</p>



Ø- 1 a	yŝlk ijh{kk fVli . kh	i zàk oxZdsmlkj
	<p>12. संशोधित अनुसूची VI के तहत प्रकटन अपेक्षाओं के संबंध में जैसाकि टिप्पणी सं. 82 में उल्लिखित है, नागर विमानन मंत्रालय से ऐसे अप्रकटन के लिए छूट प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त संशोधित अनुसूची VI की अपेक्षाओं का हर संभव अनुपालन किया गया है तथा चालू/गैर-चालू परिसंपत्तियों/देयताओं का वर्गीकरण प्रबंध वर्ग द्वारा किया गया है। अतः लंबित अनुपालनों के प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।</p> <p>13. हम लेखों के भाग के रूप में उपलब्ध निम्नलिखित टिप्पणियों के प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके लिए लेखों पर निश्चित वित्तीय प्रभाव अनिर्धारित रहा:</p> <p>क) टिप्पणी सं. 33 कुछ संपत्तियों के संबंध में प्राप्त की जा रही लंबित पंजीकरण औपचारिकताओं तथा टाइटल डीड्स के संबंध में है, टिप्पणी सं.37 सैप में अंतरित नहीं किए गए विभिन्न स्थिर परिसंपत्तियों के आंकड़ों तथा श्रेणीबद्ध की जाने वाली कुछ स्थिर परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा मिलान के लिए लंबित आंकड़ों के संबंध में है, टिप्पणी सं. 39 (ख) कुछ परिसंपत्तियों के वर्गीकरण तथा मूल्यहास के संबंध में है, इनका वित्तीय प्रभाव अनिर्धारित रहा;</p> <p>ख) टिप्पणी सं. 33(घ) अतिरिक्त भूमि का विकास न किए जाने के संबंध में सिडको को देय अतिरिक्त प्रीमियम को पूंजीकृत किए जाने के संबंध में है;</p>	<p>नोट के अनुसार जस्टिस धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के संपूर्ण कार्यान्वयन से प्रतिवर्ष 320 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है।</p> <p>तथापि सेवानिवृत्ति लाभों जैसे उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण के कारण देयता में वृद्धि होगी। एक्च्यूरी ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सभी कर्मचारियों के लिए जस्टिस धर्माधिकारी समिति रिपोर्ट के कार्यान्वयन के अतिरिक्त प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा उन्होंने 2014-15 में लगभग 137 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रभाव का संकेत दिया है। इस स्थिति में जब तक सभी कर्मचारियों के लिए जस्टिस धर्माधिकारी समिति रिपोर्ट का कार्यान्वयन पूरा नहीं हो जाता तब तक इसके परिशुद्ध प्रभाव का मूल्यांकन संभव नहीं है।</p> <p>इसके अतिरिक्त प्रबंध वर्ग को यह निर्णय लेने की भी आवश्यकता है कि क्या अतिरिक्त प्रभाव को सहायक कंपनियों के साथ बांट लिया जाए क्योंकि अभी अनेक कर्मचारियों को एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ लि. (एआईईएसएल) तथा एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ लि. (एआईएटीएसएल) में स्थानांतरित कर दिया गया है।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p>



Ø- 1 a	yſkk ijhkk fVli . kh	i xāk oxZdsmlkj
	<p>ग) टिप्पणी सं. 36, 51 तथा 54 आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा लेखांकन नीतियों के अनुसार वर्ष के अंत में हाथ में नकदी के वास्तविक सत्यापन तथा स्थिर परिसंपत्तियों एवं इन्वेंटरीज के वास्तविक सत्यापन के संबंध में अपेक्षित सुधार तथा हाथ में नकदी तथा बैंक लेखों के मिलान के संबंध में है;</p> <p>घ) जैसाकि टिप्पणी सं. 41 में उल्लिखित है सक्रिय उपयोग से हटाई जा चुकी तथा निपटान के लिए रखी गई परिसंपत्तियों की भी पहचान की जा रही है। लेखा मानक 10 का अनुपालन लंबित है;</p> <p>ड.) टिप्पणी सं० 47 (i)(सी) दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के रूप में माने गए अल्पकालिक ऋणों पर उत्पन्न विनिमय अंतर के संबंध में है, टिप्पणी सं० 47 (ii), कुछ लेन-देन के निपटान अथवा रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न विनिमय अंतर के संबंध में है जिन्हें अलग से नहीं दर्शाया गया । टिप्पणी सं० 47 (iii) कुछ अंतिम शेष (क्लोजिंग बैलेंस) के संबंध में है जो वर्ष के अंत में एफ ई डी ए आई दरों पर नहीं दर्शाए गए तथा पैरा 47 (i)(डी) विनिमय अंतरों के ट्रीटमेंट के संबंध में है जो 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के संबंध में ब्याज लागत के लिए समायोजन माने गए तो विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव संबंधी लेखा मानक-11 के साथ पढ़े जाने वाले ऋण लागत पर लेखा मानक-16 के अनुसार नहीं हैं;</p> <p>च) टिप्पणी सं. 50 एवं 51 कुछ स्थानों/स्टेशनों में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने तथा पर्याप्त रिकार्ड रखने से संबंधित है;</p> <p>छ) टिप्पणी सं. 52 कुछ मदों को नकद आधार पर लेखांकित किए जाने के संबंध में है;</p> <p>ज) टिप्पणी सं. 57 एवं 58 छलपूर्ण लेन-देन से उत्पन्न लंबित लेखांकन समायोजनों के संबंध में है;</p> <p>झ) टिप्पणी सं. 60(सी) राजस्व लेखांकन में लंबित विसंगतियों तथा वहन किए गए यात्री संबंधी आंकड़ों के लंबित मिलान और अन्य राजस्व लेखों के संबंध में है;</p> <p>ञ) टिप्पणी सं. 60(डी) पूर्व जीएसए से देय राशि के संबंध में है;</p> <p>ट) टिप्पणी सं. 60(जी) एअर इंडिया चार्टर लि. के राजस्व शेयर अनंतिम आंकड़ों पर लेखाबद्ध किए जाने के संबंध में है;</p>	<p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>विगत प्रचालन के अनुसार सक्रिय उपयोग से हटाई गई परिसंपत्तियों को अतिरिक्त परिसंपत्तियां मानते हुए उनकी पहचान बट्टे खाते रिपोर्टों के आधार पर की गई हैं जिनका वर्ष के दौरान पूरी की गई स्क्रेप बोर्ड रिपोर्टों के साथ मिलान होना शेष है। यदि कोई लेखांकन समायोजन किया जाना है तो वह आवश्यक पुष्टियों/मिलान के पश्चात् किया जाएगा।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>यह कथन सही है।</p>



Ø- 1 a	yŝlk ijhŝk fVli .kh	i zāk oxZds mŪkj
	<p>ठ) टिप्पणी सं. 62(xii) तथा (xiii) विमान इनवेंटरी के लंबित मिलान तथा उससे संबंधित अचल इनवेंटरी को निश्चित करने के संबंध में है;</p> <p>ड) टिप्पणी सं 62(xiv) विमानों के बदलाव (modification) से संबंधित कलपुर्जा के संबंध में है (राशि निर्धारित नहीं) जिन्हें इनवेंटरी में दर्शाया जा रहा है जो एएस-10 के साथ पठित एएस-2 के अनुसार नहीं है;</p> <p>ढ) टिप्पणी सं. 62(xv) – वर्ष के अंत के दौरान विनिमय अंतर एवं ट्रांसलेशन डिफरेंस को इनवेंटरी संबंधी लेखों को लेखाबद्ध करने के संबंध में;</p> <p>ण) टिप्पणी सं 74 एवं 75 – सहायक कंपनियों द्वारा उठाई गई हानि की गणना न किए जाने के संबंध में है तथा परिणामस्वरूप “निवेश के लिए लेखांकन” संबंधी एएस-13 का अनुपालन किए जाने के लिए इसमें निवेश के मूल्य में हुई कमी का प्रावधान नहीं किया गया है तथा इन सहायक कंपनियों के बकाया अग्रिमों के संबंध में प्रावधान न किए जाने के संबंध में है जबकि इन कंपनियों का नेटवर्थ पूर्णतया समाप्त हो गया है और ये कंपनियां निरंतर हानि उठा रही हैं। कंपनी ने इन कंपनियों को दिए गए अग्रिम पर लगे ब्याज की पहचान की है। इन देयों की वसूली इन कंपनियों के टर्नअराउंड पर निर्भर करती है तथा इनका निश्चित प्रभाव अनिर्धारित बना रहा;</p> <p>प) टिप्पणी सं. 77 (ए) व (ई) वेतन बकाया के तदर्थ प्रावधान तथा कर्मचारी के देयों के लंबित लेखांकन के संबंध में है।</p>	<p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p>
14.	<p>हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि निर्धारित सीमा तक पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हुए, उपर्युक्त पैरा 1 से 13 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर पूर्वावधि समायोजनों को छोड़कर वर्ष के लिए 29,666.6 मिलियन रुपए की हानि कम दर्शायी गई तथा वर्ष के लिए कर पश्चात् हानि पर संचयी प्रभाव के साथ पूर्वावधि समायोजन 28,425.2 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए तथा उक्त को तुलन पत्र में अग्रेषित करते समय 58091.8 मिलियन रुपए कम दर्शाए गए जिससे 58091.8 मिलियन रुपए की संचित हानि कम दर्शायी गई, इनवेंटरीज 9040.7 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गई तथा वर्ष के लिए हानि पर परिणामात्मक प्रभाव निश्चितता से निर्धारित नहीं किया गया, वर्तमान देयताएं 4433.9 मिलियन रुपए कम दर्शायी गई, स्थिर परिसंपत्तियां 12520.8 मिलियन रुपए अधिक दर्शायी गई, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां 78,25.7 मिलियन रुपए कम दर्शाई गई है,, ऋण तथा अग्रिम 11496.9 मिलियन रुपए अधिक दर्शाए गए तथा आस्थगित कर परिसंपत्ति में शेष शून्य</p>	<p>लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई कमियों के लिए प्रबंध वर्ग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रबंध वर्ग का मत है कि समीक्षाधीन वर्ष में हानि को कम नहीं दर्शाया गया है तथा न ही परिसंपत्तियों/ देयताओं को अधिक/ कम दर्शाया गया है।</p>



Ø- 1 a	yŝlk ijhŝlk fVli . kh	i zāk oxZds mŭkj
	<p>रुपए रहा होगा। टिप्पणी सं. 80 में गणना की गई प्रति शेयर आय यहां दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन है।</p> <p>DokylQkbM vki lfu; u</p> <p>हमारी राय तथा सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 'क्वालीफाइड ओपीनियन के लिए आधार' वाले पैराग्राफ में वर्णित तथ्य के प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरण अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप सूचना देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक तथा स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करते हैं:</p> <p>क) तुलन पत्र के संबंध में 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी की स्थिति;</p> <p>ख) लाभ एवं हानि खाते के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हानि; और</p> <p>ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह।</p> <p>ekeys dk egŭb</p> <p>i) जैसाकि टिप्पणी सं. 77 (सी) में उल्लिखित है कंपनी ने धर्माधिकारी रिपोर्ट, जो न्यायाधीन है, का कार्यान्वयन लंबित होने के कारण जुलाई, 2012 से विभिन्न वर्गों को देय भत्तों की 75% राशि का भुगतान कर्मचारियों को कर दिया है। 6738.6 मिलियन रुपए की राशि के भुगतान न किए गए भत्ते आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए गए हैं।</p> <p>ii) जैसाकि टिप्पणी सं. 59 में उल्लिखित है वर्ष के दौरान हमने कंपनी के कुछ चुने हुए विदेशी तथा घरेलू स्टेशनों का दौरा किया। इन दौरों का उद्देश्य इन स्टेशनों में मंटेन किए गए मूल रिकार्डों की समीक्षा तथा उसके लिए स्टेशनों में आंतरिक नियंत्रण की जांच करना था। ये दौरे प्रबंधवर्ग द्वारा अंतिम रूप दिए गए शेड्यूल के अनुसार किए गए थे। लेखा परीक्षित नहीं किए गए अन्य स्टेशनों के लेखे संबंधित स्टेशनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार कंपनी के समेकित लेखों में सम्मिलित किए गए।</p>	<p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>जस्टिस धर्माधिकारी समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित किए जाने तक कर्मचारियों को देय विविध भत्तों में कंपनी ने 25% की तदर्थ कटौती की है। मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने 28 जनवरी, 2014 के आदेश में वेतन तथा भत्तों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निदेश दिए हैं तथा कार्यस्थितियों में परिवर्तन संबंधी विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 9ए के तहत निर्देशन हेतु भेज दिया है। प्रबंध वर्ग का विचार है कि कर्मचारियों की वेतन संरचना को युक्ति संगत बनाए जाने तक इस राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाए तथा इसके प्रभाव की गणना कार्यान्वयन के वर्ष में की जाए।</p> <p>किसी भी स्थिति में उक्त कारण से 6738.6 मिलियन रुपए की आकस्मिक देयता का प्रावधान किया गया है।</p> <p>2013-14 के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों ने कुल 9 स्टेशनों का दौरा किया। लेखा परीक्षा के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य का क्षेत्र लेखा परीक्षकों द्वारा निश्चित किया गया था। उनके द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंध वर्ग ने उपयुक्त रूप से उत्तर दिया है।</p>



Ø- 1 a	yŝkk ijhkk fVli . kh	i zāk oxZds mŪkj
	<p>iii) जैसाकि टिप्पणी सं. 70, 74, 75 तथा अन्य मामलों में उल्लिखित है कि जहां कहीं भी कंपनी ने सहायक कंपनियों/समूह कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के साथ लेन-देन किया है तो इन लेन-देनों में करीबी संबंधों को निर्धारित नहीं किया गया।</p> <p>iv) लेखों का भाग के रूप में दी गई टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:</p> <p>क) टिप्पणी सं. 45(सी) वर्ष के दौरान प्रोद्भवन आधार पर 459.7 मिलियन रुपए के ईंधन खपत भत्ते के लेखांकन के संबंध में है जबकि अनुबंध अभी निष्पादित किया जाना है।</p> <p>ख) टिप्पणी सं. 48 वायुदूत लिमिटेड के विलय तथा कंपनी के लेखों में किए गए परिणामात्मक समायोजन के संबंध में है।</p> <p>ग) जैसाकि टिप्पणी सं. 53(जी) में उल्लिखित है कंपनी को स्टार एलायंस का सदस्य बनना शेष है तथा 639.4 मिलियन रुपए के सदस्यता शुल्क को "ऋण तथा अग्रिम" के अंतर्गत रखा जा रहा है।</p>	<p>कंपनी ने सहायक कंपनियों के साथ लेन-देन में स्वतंत्र संबंध बनाए रखा तथा 2014-15 में ग्राउंड हैंडलिंग तथा इंजीनियरी कंपनियों के प्रचालन के साथ ही स्वतंत्र संबंध बनाए रखने के लिए इन कंपनियों के साथ एमओयू तथा एसएलए किए हैं।</p> <p>जीई पहले 13 बी 787 विमानों में लगे इंजनों के संबंध में एअर इंडिया को 23 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा ईंधन खपत भत्ता देने के लिए सहमत हो गई है। विधि मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही इसकी जांच किए जाने के पश्चात् इस संबंध में एक समझौता किया जाना प्रस्तावित है। उक्त लंबित होने से कंपनी ने 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान अर्जित राशि को प्रस्तुत करते हुए 459.7 मिलियन रुपए का क्रेडिट लिया है।</p> <p>कंपनियों के विलय/समामेलन में अनुसरण किए जा रहे सामान्य सिद्धांतों के अनुसार विलय को लेखांकित किया गया है।</p> <p>कंपनी 11 जुलाई, 2014 को औपचारिक रूप से स्टार एलायंस की सदस्य बन गई है। स्टार एलायंस में प्रवेश से भविष्य में यात्री राजस्व में 2 से 3 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। स्टार एलायंस की 27 सदस्य एयरलाइनों के नेटवर्क में विश्वभर के 1328 एयरपोर्टों से प्रतिदिन लगभग 21900 प्रस्थान किए जाते हैं। यह एलायंस एअर इंडिया यात्रियों को विशाल वैश्विक नेटवर्क की सहायता से अद्वितीय पहुंच व संपर्क ऑफर करता है तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के माध्यम से लागत में कमी के लिए स्ट्रैटजिक अवसर प्रदान करता है। कंपनी प्रणालियों तथा मानकों के संदर्भ में वैश्विक प्रचालनों को अपनाने की प्रक्रिया में भी लगी है तथा इससे एअर इंडिया की वैश्विक पहचान में वृद्धि होगी। स्टार एलायंस की सभी सदस्य एयरलाइनों के बीच एफएफपी भागीदारी के माध्यम से यात्रियों को भी अत्यंत लाभ मिलेगा। यात्री सदस्य एयरलाइनों में प्रोग्राम लाभों की उपलब्धता से किसी भी सदस्य एयरलाइन में एफएफपी प्वाइंट्स का अर्जन एवं उपयोग कर सकते हैं।</p> <p>आईटी अपग्रेडेशन के माध्यम से एकीकरण की लागत को, होने वाले व्यय के आधार पर लेखा बहियों में पहले ही लेखांकित किया जा चुका है।</p> <p>चूंकि स्टार एलायंस की सदस्यता ग्रहण करने के लाभ वर्ष 2014-15 से प्राप्त होंगे अतः स्टार एलायंस की सदस्यता ग्रहण करने में लगे शुल्क के व्यय को लाभ अर्जित होने पर आने वाले वर्षों में तदनुसार बट्टे खाते में डाला जाएगा।</p>



Ø- 1 a	yſkk ijhkk fVli . kh	i zāk oxZdsmlkj
	<p>घ) टिप्पणी सं. 55(डी) तेल मार्केटिंग कंपनियों को दिए गए/दिए जाने वाले 2,373.1 मिलियन रुपए के लंबित भुगतान प्रभारों तथा इस पर टीडीएस की लंबित कटौती और टीडीएस/सेवा कर के विलंबित भुगतान पर 514.6 मिलियन रुपए के ब्याज को "अन्य व्यय" के स्थान पर "वित्तीय लागत" में सम्मिलित किया गया है।</p> <p>ड.) टिप्पणी सं. 73 कंपनी द्वारा दी गई 1269.4 मिलियन रुपए की राशि के संबंध में है जिसे लेखाकरण नीति के अनुसार शेष उपयोगी तकनीकी लाईफ पर परिशोधित किया जा रहा है।</p> <p>च) टिप्पणी सं. 81 एमएसएमई को देय राशि तथा देय ब्याज, यदि कोई है, के संबंध में है जिसका निर्धारण किया जाना शेष है।</p> <p>छ) टिप्पणी सं. 86 कंपनी के वित्तीय विवरण गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए जाने के संबंध में है, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी का नेटवर्थ पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। उक्त आधार की उपयुक्तता अन्य के साथ-साथ अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सरकार से इक्विटी प्राप्त करने की कंपनी की योग्यता, बेहतर प्रचालनात्मक/ वित्तीय निष्पादन तथा सरकार द्वारा अनुमोदित टर्न अराउंड योजना के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।</p> <p>हमारी राय इन मामलों के संबंध में क्वालीफाइड नहीं है।</p> <p>vU; oſkkud rFkk foru; led viſkkvāij fjiKZ</p> <p>1. अधिनियम की धारा 227 की उप धारा (4ए) के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार, भारत द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 की अपेक्षानुसार आदेश के पैरा 4 तथा 5 में उल्लिखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।</p>	<p>चूंकि तेल कंपनियों को भुगतान की जा रही राशि ब्याज लागत के रूप में है, अतः इसे 2013-14 में वित्त लागत के तहत सम्मिलित किया गया है।</p> <p>7 ए320 विमान, जो सेल/लीज़ बैंक व्यवस्था के अंतर्गत हैं, के लिए प्रति विमान 4.1 मिलियन अमरीकी डॉलर की रिलीज़ राशि का भुगतान किया गया। लेखांकन नीति के अनुसार विमान के शेष उपयोगी तकनीकी जीवन के लिए राशि चुकाई जा रही है क्योंकि एअर इंडिया ने विमान में रेजीड्यूअल अधिकार अर्जित किए हुए हैं।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p> <p>अपनी कार्यशील पूंजी ऋण को पुनः व्यवस्थित करने हेतु कंपनी ने 01 अक्टूबर, 2011 से वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) लागू की है। टर्नअराउंड योजना सहित एफआरपी के माध्यम से कंपनी अपने वित्तीय व प्रचालन निष्पादन में सुधार कर सकेगी। भारत सरकार ने ऋणों तथा सेल/लीज़ बैंक लेन-देनों पर वित्तीय गारंटी प्रदान कर भी कंपनी को सहायता प्रदान की जिससे कंपनी उपयुक्त लागत पर वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सके। भारत सरकार भविष्य में भी यानि वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कंपनी में इक्विटी लगाने हेतु प्रतिबद्ध है ताकि कंपनी सरकारी गारंटी प्राप्त ऋणों तथा एनएसडी पर ब्याज का भुगतान कर सके। उपरोक्त के मद्देनजर कंपनी भविष्य में प्रचालन व वित्तीय निष्पादन में निरंतर सुधार की अपेक्षा कर रही है तथा असाधारण परिस्थितियों या नियंत्रण से बाहर के घटकों को छोड़ दें तो कंपनी के वर्ष 2018-19 में केश पोजीटिव व वर्ष 2020-21 में पेट पोजीटिव होने की आशा है। भारत सरकार की सहायता से तथा कंपनी द्वारा अपने प्रचालन निष्पादन में सुधार हेतु किए गए उपायों के कारण भविष्य में कंपनी को वित्तीय स्थिति में निरंतर सुधार की आशा है अतः लेखे गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किए गए हैं।</p>



Ø- 1 a	yŝkk ijhkk fVli . kh	i zāk oxZds mŪkj
	<p>2. अधिनियम की धारा 227 (3) की अपेक्षा के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:</p> <p>i) क्वालीफाइड ओपीनियन के आधार पैराग्राफ में उल्लिखित मामलों को छोड़कर हमने वे सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;</p> <p>ii) हमारी राय में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित नहीं किए गए बिजनेस क्षेत्रों/स्टेशनों/स्थानों सहित से प्राप्त सूचना/विवरणी सम्मिलित करते हुए कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित खाता बहियां रखी हुई हैं जैसाकि कंपनी के केन्द्रीय लेखा कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/स्टेशनों में मेंटेन की गई इन खाता बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;</p> <p>iii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण लेखा बहियों तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए स्टेशनों/स्थानों से प्राप्त विवरणी के अनुरूप है;</p> <p>iv) "क्वालीफाइड ओपीनियन के लिए" आधार पैराग्राफ में उल्लिखित प्रभावों को छोड़कर हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ तथा हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरणी में अधिनियम की धारा 211 की उप धारा (3 सी) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के संबंध में निगमित कार्य मंत्रालय के दिनांक 13.09.2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 में दिए गए लेखा मानकों का अनुपालन किया गया है;</p> <p>v) अधिनियम की धारा 617 में दी गई परिभाषा के अनुसार कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी को विधि, न्याय एवं कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 22 मार्च, 2002 के परिपत्र संख्या 2/5/2001/सीवी.वी सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 274(1) (जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है;</p> <p>vi) चूंकि केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 441 (ए) के तहत ऐसी कोई अधिसूचना एवं नियम जारी नहीं किया है जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि किस दर से एवं किस रूप में शुल्क का भुगतान किया जाए, अतः कंपनी पर कोई भी शुल्क लंबित एवं देय नहीं हैं।</p>	<p>कथन सही है।</p> <p>कथन सही है।</p>



Lora- yqk ijhkd dh fjikWZds vuyXud
l el d; d frffk dh geljh yqk ijhkd fjikWZdh vU; oshkud rFkk
fofu; led viqk/kij fjikWZdsrgr ijk 1½eamfYyf[kr

Ø- 1 a	yqk ijhkd fVli . kh	i zak oxZds mUkj
1.	<p>(क) मात्रात्मक विवरण एवं उनके स्थान सहित संपूर्ण विवरण से संबंधित कंपनी द्वारा रखे गए रोटेबल्स सहित, स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित रिकार्ड अपडेशन की प्रक्रिया में हैं। कंपनी ने कुछ स्थानों पर स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य अभी तक अपडेट नहीं किया है तथा हमें सूचित किया गया है कि इसके लिए प्रक्रिया जारी है। एयरक्राफ्ट रोटेबल्स तथा अन्य स्थिर परिसंपत्तियों के लिए स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ किया जा रहा है।</p> <p>(ख) कंपनी बारी-बारी से स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करती है जिससे प्रत्येक परिसंपत्ति का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सत्यापन हो जाता है। यह देखा गया कि वर्ष के दौरान कुछ स्थानों पर ही प्रत्यक्ष सत्यापन कराया गया। सूचित किया गया कि प्रत्यक्ष सत्यापन की यह प्रक्रिया सुसंगत की जा रही है, इस कारण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सम्पत्ति का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा सका। 2010-12 तथा 2012-14 की दो वर्षों की अवधि के दौरान पाई गई विसंगतियां लेखांकन कार्रवाई के तहत हैं। लेखांकन नीति का अनुपालन न होने तथा वित्तीय रिकार्ड के साथ उनके प्रत्यक्ष सत्यापन के परिणामों का पूर्ण मिलान न होने के कारण हम किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन तथा किसी सीमा तक किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन से मिली किसी सामग्री संबंधी विसंगति को निर्धारित करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी सं.36 देखें)</p> <p>(ग) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, गोइंग कन्सर्न मान्यता के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के किसी बड़े हिस्से का निपटान नहीं किया है।</p>	<p>कंपनी पहले ही स्थायी परिसंपत्ति मॉड्यूल को कार्यान्वित कर चुकी है जो सैप ईआरपी सिस्टम पर स्थान विवरण तथा मात्रात्मक विवरण सहित स्थिर परिसंपत्तियों के आंकड़ों को सरल और कारगर बनाएगा। एयरक्राफ्ट रोटेबल्स के लिए स्थिर परिसंपत्ति रजिस्टर का अन्य वित्तीय रिकार्डों के साथ मिलान अभी जारी है।</p> <p>वास्तविक सत्यापन एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा स्थायी परिसंपत्तियों के बहीखातों और वास्तविक भंडार में कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई। नई सैप प्रणाली में स्थिर परिसंपत्ति के आंकड़े स्थानांतरित करते समय त्रुटि का पता चलने पर निर्धारित प्रक्रिया/पद्धति को अपनाते हुए उसे बहीखातों में समायोजित कर लिया जाएगा। उच्च मूल्य की परिसंपत्तियां जैसे एयरक्रैफ्ट, इंजन एपीयू, लैंडिंग गेयर जो ग्रॉस ब्लॉक का 90 प्रतिशत है, उनका वास्तविक सत्यापन वर्ष के अंत में आंतरिक लेखा परीक्षा से परामर्श के साथ इंजीनियरी विभाग द्वारा किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 में की गई सत्यापन प्रक्रिया में कोई बड़ी कमी नहीं पाई गई। अन्य स्थिर परिसंपत्तियां जो ग्रॉस ब्लॉक का एक छोटा सा हिस्सा हैं उनकी समीक्षा संबंधित क्षेत्रों द्वारा समय-समय पर की जाती हैं तथा यथोचित प्रक्रिया के पश्चात् आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।</p> <p>यह कथन सही है</p> <p>कंपनी ने वर्ष के दौरान तीन बी777-200 एलआर विमानों का निपटान किया है। कंपनी में ग्राउंड हैंडलिंग उपकरणों तथा वर्कशॉप उपकरणों की डब्ल्यू.डी.वी. क्रमशः ग्राउंड हैंडलिंग तथा इंजीनियरी सहायक कंपनियों में अंतरित करने की भी प्रक्रिया जारी है। यह कार्य 2014-15 में पूरा हो जाएगा। ये निपटान/अंतरण गोइंग कंसर्न मान्यता को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे।</p> <p>वर्ष के दौरान गैर सर्विस योग्य इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन के लिए बाह्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की दो फर्मों को नियुक्त किया गया था तथा इंजीनियरी तथा सामग्री प्रबंध विभागों द्वारा गहन जांच के पश्चात् फर्मों द्वारा दिए गए जांच परिणामों पर प्रबंध वर्ग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त रैमको सिस्टम के अपग्रेडेशन के साथ-साथ वास्तविक सत्यापन प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाया जाएगा।</p>
2.	<p>(क) कंपनी में निरंतर आधार पर दो वर्षों में कम से कम एक बार इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने की कार्यप्रणाली है। तथापि इस व्यवस्था का अनुसरण नहीं किया गया है तथा इवेंटरी के केवल एक हिस्से का ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया जा रहा है।</p>	<p>वर्ष के दौरान गैर सर्विस योग्य इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन के लिए बाह्य चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की दो फर्मों को नियुक्त किया गया था तथा इंजीनियरी तथा सामग्री प्रबंध विभागों द्वारा गहन जांच के पश्चात् फर्मों द्वारा दिए गए जांच परिणामों पर प्रबंध वर्ग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त रैमको सिस्टम के अपग्रेडेशन के साथ-साथ वास्तविक सत्यापन प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाया जाएगा।</p>



Ø- 1 a	yſkk ijhkk fVli . kh	izāk oxZds mŪkj
	<p>(ख) प्रबंध वर्ग द्वारा निरंतर आधार पर इनवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की कार्यप्रणाली कंपनी द्वारा घोषित लेखांकन नीति के अनुरूप होनी आवश्यक है। वर्ष के दौरान किया गया प्रत्यक्ष सत्यापन बहुत ही कम है और इन्हें और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। कंपनी के आकार तथा कार्य व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इनवेंटरी के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया को कवरेज तथा फ्रीक्वेंसी की दृष्टि से मजबूत बनाने की आवश्यकता है। कंपनी ने बाहरी एजेंसियों के पास पड़ी इनवेंटरी के संबंध में पुष्टि/प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं।</p> <p>(ग) इनवेंटरी रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर हमारी राय में कंपनी द्वारा अंतरित किए गए मूल्य तथा मदों की मात्रा के स्रोत के संदर्भ में नई प्रणाली में विमान संबंधी इनवेंटरी के रिकार्डों को अद्यतन तथा उनमें सुधार किया जाना है तथा गैर-विमान भंडार का मिलान वित्तीय रिकार्डों के साथ किया जाना है। स्टोर्स में रखी गई इनवेंटरी तथा उसके उपयोग से संबंधित केन्द्रीकृत रिकार्डों का वित्तीय रिकार्डों के साथ पूरी तरह से मिलान किया जाना आवश्यक है। (टिप्पणी सं. 62 देखें)</p> <p>बही रिकार्डों की तुलना में इनवेंटरी का प्रत्यक्ष सत्यापन करने पर पाई गई त्रुटियों का संबंधित विभाग द्वारा की जा रही संवीक्षा के आधार पर मिलान और समायोजन किया जा रहा है और उसके उपरांत लेखा खातों में उसे उचित रूप में दिखाया जाएगा।</p>	<p>लेखा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं तथा वर्तमान प्रक्रियाओं को विमान उद्योग में प्रचलित सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप बेंचमार्क करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए परामर्शदाताओं मैसर्स केपीएमजी द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रबंध वर्ग चिरस्थायी इनवेंटरी सिस्टम लागू करेगा जिसके द्वारा वास्तविक इनवेंटरी का वास्तविक सत्यापन किया जा सके तथा रिकार्ड के साथ उनकी तुलना की जा सके।</p> <p>लेखा परीक्षा टिप्पणियां नोट कर ली गई हैं।</p>
3.	<p>(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को किसी प्रकार के रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं दिए हैं। इसके अंतर्गत सहायक कंपनियों को दिया गया ब्याज सहित अग्रिम सम्मिलित नहीं है जो चालू लेखों की प्रकृति का है तथा जहां पुनः भुगतान की शर्तें भी उल्लिखित नहीं की गई हैं।</p> <p>(ख) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा दिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना चूंकि कंपनी के हित में नहीं होगा अतः मूल एवं ब्याज की नियमित रूप से प्राप्ति तथा मूल एवं ब्याज की वसूली के लिए उठाए गए उचित कदम जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है। इसमें सहायक कंपनियों सम्मिलित नहीं है जिसमें कंपनी ने सहायक कंपनियों के अग्रिम पर ब्याज प्रभारित किया है जो प्रथम दृष्टि से कंपनी के हित में है तथापि पुनर्भुगतान की अनुसूची में पुनर्भुगतान की शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं अतः कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। साथ ही, चूंकि चालू खाता मेनटेन किया जाता है अतः उस पर मूल या ब्याज की वसूली के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।</p>	<p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p>



Ø- 1 a	yſkk i jhkk fVli . kh	i zāk oxZds mŪkj
	<p>(ग) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से किसी प्रकार का रक्षित अथवा अरक्षित ऋण नहीं लिया है।</p> <p>(घ) परिणामस्वरूप, ब्याज दरों तथा लिए गए ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तों पर टिप्पणी करना कंपनी के हित में नहीं है तथा मूल व ब्याज का नियमित रूप से भुगतान जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करने का प्रश्न नहीं उठता है।</p> <p>4. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का अनुपालन तथा इनवेंटरी स्थिर परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल एवं सेवाओं के विक्रय के लिए कंपनी के आकार तथा इसके कार्य व्यापार की प्रकृति के अनुरूप इसे मजबूत किया जाना आवश्यक है। कंपनी, इनवेंटरी, राजस्व खातों, फुटकर देनदार/लेनदार, स्टाफ अग्रिमों एवं कुछ मध्यस्थ लेखों आदि के संबंध में उप लेज़रों का सामान्य लेज़र से मिलान कर रही है (टिप्पणी सं. 29 देखें)। प्रबंध वर्ग को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की कमी को दूर करने में मिल रही निरंतर असफलता पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।</p> <p>5. (क) हमारे द्वारा प्रयोग की गई लेखा परीक्षा पद्धति के आधार पर तथा प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 में उल्लिखित कॉन्ट्रैक्ट एवं समझौतों का ऐसा कोई विवरण नहीं है जिसकी इस धारा के तहत बनाए गए अपेक्षित रजिस्टर में प्रविष्टि करने की आवश्यकता है।</p> <p>(ख) अतः इस तथ्य पर टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या इन कॉन्ट्रैक्ट अथवा समझौतों के अनुसरण में किए गए लेन-देन बाज़ार में प्रचलित मूल्यों के संदर्भ में उचित मूल्यों पर किए गए हैं।</p> <p>6. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं की है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क, 58कक या इस अधिनियम के कोई अन्य प्रावधान अथवा तदनुसार बनाए गए नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।</p> <p>7. हमारी राय में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य कंपनी के आकार तथा कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप बनाए जाने अपेक्षित हैं। वर्ष के दौरान बहुत कम आंतरिक लेखा परीक्षा की गई हैं। समय पर निष्पादन, रिपोर्ट करने, अनुपालन, प्रमुख ऑनलाइन स्टेशनों व क्षेत्रीय मुख्यालयों, पंजीकृत कार्यालय तथा केन्द्रीय लेखा कार्यालय तक कार्यक्षेत्र में विस्तार करने,</p>	<p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>कंपनी अपने आंतरिक नियंत्रणों को निरंतर मजबूत करने की प्रक्रिया में है ताकि वह इसे अपने व्यवसाय के आकार तथा प्रकृति के अनुकूल बना सके। आईटी सिस्टम को भी व्यवसाय की जटिलताओं के अनुरूप बनाने के लिए भी निरंतर अपग्रेड किया जा रहा है। सैप ईआरपी तथा स्थायी परिसंपत्ति मॉड्यूल के लागू होने के साथ ही कंपनी की परिसंपत्तियां निर्धारित अनुमोदन के बाद व्यवस्थित रूप से रिकार्ड की जाती हैं। चूंकि, सैप लेखांकन के यह आरंभिक वर्ष हैं, अतः कुछ मिलान और हस्तान्तरण संबंधी मुद्दे अवश्य सामने आएंगे जिन्हें आने वाले वर्षों में सुलझा लिया जाएगा।</p> <p>ब्लॉक स्तर पर सैप में अंतरित की गई मेल वस्तुओं एवं खातों की पहचान की प्रक्रिया एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म द्वारा की जा रही है तथा उनकी रिपोर्टों के आधार पर जहां अपेक्षित होगा, यथासंभव सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग सभी गतिविधियों को सम्मिलित कर एक विस्तृत न्यूनतम लेखा परीक्षा कार्यक्रम बनाता है। जिसके अंतर्गत भारत एवं विदेशों के सभी स्टेशनों की जांच सम्मिलित होती है। आंतरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र को एमएपी में पर्याप्त ढंग से परिभाषित किया गया है तथा विभिन्न इकाइयों/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय की सभी आंतरिक लेखा परीक्षा इकाइयों में इसका पालन किया जा रहा है।</p>



Ø- 1 a	yſkk ijhkk fVli . kh	i zāk oxZds mŪkj
	<p>महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर बल देने तथा समय पर मॉनीटरिंग करने के लिए इसको आगे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है जिससे प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। बहियों में दर्शाए गए अंत शेष की आंतरिक लेखा परीक्षा के माध्यम से समीक्षा की जानी अपेक्षित है।</p> <p>8. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (घ) के अधीन लागत रिकार्ड रखने की व्यवस्था को निर्धारित नहीं किया है।</p> <p>9. (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं लेखा खातों की हमारी जांच के आधार पर, उक्त अवधि के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, विक्रय कर, धन कर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य लागू सांविधिक देयों सहित अविवादित सांविधिक देयों को सामान्यतः नियमित रूप से उचित प्राधिकारियों के समक्ष जमा कराया है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> विदेशी स्टेशनों के संबंध में जिनका हमने दौरा नहीं किया है, चूंकि रिकार्डों को स्टेशनों में रखा जाता है अतः हम इस विषय में टिप्पणी देने में असमर्थ हैं कि देयों को समय पर जमा कराया जाता है अथवा नहीं। जिन विदेशी स्टेशनों का हमने दौरा किया है उनके सांविधिक देयों के खाते मिलान के अधीन हैं। कॉन्ट्रेक्टरों/सब कॉन्ट्रेक्टरों के कर्मचारियों के कुल 38.14 मिलियन रुपए के भविष्य निधि देय को उनकी पंजीकरण संख्या न होने के कारण अलग बैंक खाते में रखा गया है। कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से स्रोत पर कर कटौती करती है तथा इसे जमा करती है। इसमें तेल कंपनियों को विलंब से किए गए भुगतान पर टीडीएस यदि नहीं काटा गया है तो वह सम्मिलित नहीं है। (टिप्पणी सं. 55 (डी) देखें) तथापि, कंपनी ने कुछ स्थानों पर वर्ष के अंत में देय स्रोत पर कर कटौती का मिलान नहीं किया है। कंपनी ने वर्ष के अंत में किए गए कुछ प्रावधानों पर कर की कटौती नहीं की है। कंपनी वसूली योग्य सेवा कर एवं देय सेवा कर का समायोजन कर रही है। 	<p>आन्तरिक लेखा परीक्षा के क्षेत्र को वर्ष के दौरान विस्तृत किया गया ताकि नैरो बॉडी प्रचालनों के आंतरिक लेखा परीक्षा स्तर को बढ़ाया जा सके और इसमें वाइड बॉडी प्रचालन भी सम्मिलित किए जा सकें। कुछ मुख्य गतिविधियों को आउट-सोर्स करके आंतरिक लेखा परीक्षा को भी सुदृढ़ बनाया गया है ताकि उसे कंपनी के व्यापार के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सके। कंपनी कार्यों के कुछ महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को आउटसोर्स करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2014-15 में बाह्य आंतरिक लेखा परीक्षकों का प्रस्ताव भी देती है जिससे आंतरिक नियंत्रण मजबूत हो। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए लेखा परीक्षा समिति तथा प्रबंध वर्ग के समक्ष भी रखी जाती है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>सभी विदेशी स्टेशनों के संबंध में सांविधिक देयों को सामान्यतः समय-समय पर जमा किया जाता है तथा क्षेत्र/स्टेशन में उनका सामंजस्य किया जाता है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p>



Ø- 1 a	yſkk ijhkk fVli . kh	i zak oxZds mÜkj												
	<ul style="list-style-type: none"> इनपुट क्रेडिट सहित सेवा कर प्राप्त किया जाता है तथा टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआईएस, प्रोफेशन टैक्स तथा एयरपोर्ट टैक्स के खातों का मिलान किया जा रहा है। विभिन्न स्थानों में सांविधिक देयों के भुगतान में कुछ विलंब हुआ है। (टिप्पणी सं. 55 एवं 56 देखें) दिनांक 31.03.2014 तक कंपनी द्वारा 1548.4 मिलियन रुपए का अविवादित सेवा कर तथा 139.2 मिलियन रुपए का आयकर देय है जो छह माह से अधिक समय से बकाया है। <p>जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, मिलान न किए जाने के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि 31 मार्च, 2014 को उपर्युक्त के संबंध में अन्य किन्हीं अविवादित देयों का भुगतान किया जाना शेष है जो देय तिथि से छः माह की अवधि से अधिक समय से बकाया हों (टिप्पणी सं. 55 व 56 देखें)।</p> <p>(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी विवाद के कारण विक्रय कर, आयकर, सीमा शुल्क, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क अथवा उपकर का देय बकाया नहीं है, इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं :</p> <table border="1" data-bbox="251 1028 897 1570"> <thead> <tr> <th data-bbox="251 1028 460 1150">vfeku; e dk ule</th> <th data-bbox="460 1028 633 1150">jk'k hēfy; u #i, e</th> <th data-bbox="633 1028 897 1150">ns ka dk izdkj , oa U, k ky; t gka fookn yācr gā</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="251 1150 460 1316">आयकर अधिनियम, 1961</td> <td data-bbox="460 1150 633 1316">885.8</td> <td data-bbox="633 1150 897 1316">कंपनी द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त किया गया है जिसकी अपील की गई है।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="251 1316 460 1437">सीमा शुल्क तथा सेवा कर</td> <td data-bbox="460 1316 633 1437">4,554.8</td> <td data-bbox="633 1316 897 1437">कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क एवं सेवा कर।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="251 1437 460 1570">नगर निगम कर/गृह कर</td> <td data-bbox="460 1437 633 1570">147.9</td> <td data-bbox="633 1437 897 1570">नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर।</td> </tr> </tbody> </table>	vfeku; e dk ule	jk'k hēfy; u #i, e	ns ka dk izdkj , oa U, k ky; t gka fookn yācr gā	आयकर अधिनियम, 1961	885.8	कंपनी द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त किया गया है जिसकी अपील की गई है।	सीमा शुल्क तथा सेवा कर	4,554.8	कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क एवं सेवा कर।	नगर निगम कर/गृह कर	147.9	नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर।	<p>यह कथन सही है। कंपनी के समक्ष पेश आ रही नकदी की कमी के कारण कुछ सांविधिक देयों के भुगतान में विलंब हुआ। तथापि इनका भुगतान बाद में किया गया।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>यह कथन सही है।</p> <p>कंपनी के समक्ष पेश आ रही नकदी की कमी के कारण ब्याज के भुगतान में विलंब हुआ। तथापि इनका भुगतान बाद में किया गया। कुछ बैंकों ने ऐसे विलम्बित भुगतान के लिए जुर्माना लगाया है। अतः संबंधित बैंकों के साथ इसमें छूट का मामला उठाया गया है।</p>
vfeku; e dk ule	jk'k hēfy; u #i, e	ns ka dk izdkj , oa U, k ky; t gka fookn yācr gā												
आयकर अधिनियम, 1961	885.8	कंपनी द्वारा डिमांड नोटिस प्राप्त किया गया है जिसकी अपील की गई है।												
सीमा शुल्क तथा सेवा कर	4,554.8	कर प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया सीमा शुल्क एवं सेवा कर।												
नगर निगम कर/गृह कर	147.9	नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मांगा गया संपत्ति कर/गृह कर।												
10.	<p>संचित हानि कंपनी के निवल लाभ से अधिक हो गई है तथा वर्तमान तथा विगत वित्तीय वर्षों में नकद हानि हुई है, तथापि, कंपनी के लेखे गोईंग कन्सर्न आधार पर इस अनुमान से तैयार किए गए हैं कि कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है और भविष्य में इसके वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा। (संदर्भ टिप्पणी संख्या 86)।</p>	<p>यह कथन सही है।</p>												
11.	<p>हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के देयों के भुगतान में चूक नहीं हुई है। तथापि, तुलन पत्र में दर्शाई गई तिथि को ऋणों पर 356.4 मिलियन रुपए के ब्याज का भुगतान बकाया है। यह भी देखा गया कि वर्ष के दौरान मूल तथा ब्याज के भुगतान में देरी हुई है।</p>	<p>यह कथन सही है।</p>												



Ø- 1 a	yſkk ijhkk fVli . kh	i zāk oxZds mŪkj
12.	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, एवं हमें दिखाए गए दस्तावेजों एवं रिकार्डों के आधार पर कंपनी ने शेयर, डिबेंचर एवं अन्य प्रतिभूति को गिरवी रख कर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम नहीं दिए हैं।	यह कथन सही है।
13.	हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के कार्य की प्रकृति के कारण कंपनी पर चिट फंड एवं निधि/परस्पर लाभ निधि/समितियों पर लागू कोई विशेष अधिनियम लागू नहीं होते हैं।	यह कथन सही है।
14.	कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों का कार्य नहीं करती है।	यह कथन सही है।
15.	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनी के लिए बैंकों से ऋण पर गारंटी दी है। इस गारंटी की शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं।	यह कथन सही है।
16.	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, आवधिक ऋणों को जिन उद्देश्यों के लिए लिया गया था, उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया गया है।	यह कथन सही है।
17.	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण एवं कंपनी के तुलन पत्र एवं कैश फ्लो की संपूर्ण समीक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि प्रारंभ में कार्यशील पूंजी के लिए, लिए गए अल्पकालिक ऋण की 31 मार्च, 2014 के अनुसार 2456.4 मिलियन रुपयों की बकाया राशि को दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया गया है।	ये ऋण विमान निर्माताओं को भुगतान करने हेतु लिए गए थे ताकि भविष्य में विमानों की डिलीवरी की पुष्टि की जा सके।
18.	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत बनाए गए रजिस्टर में सम्मिलित पार्टियों अथवा कंपनियों को शेयरों का कोई प्रीफरेंशियल आबंटन नहीं किया है।	यह कथन सही है।
19.	हमको दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए गए।	यह कथन सही है।
20.	कंपनी ने उक्त अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए कोई धनराशि एकत्रित नहीं की।	यह कथन सही है।
21.	कोलकाता में निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में टिप्पणी सं. 58 एवं 59 में बताए अनुसार तथा सिडनी स्टेशन में नकद में अंतर तथा वर्ष के दौरान बकाएदार एजेंटों से 373.8 मिलियन रुपए की वसूली योग्य देय राशि जहां बकाए की वास्तविक प्रकृति को अभी निर्धारित किया जाना है, को छोड़कर वर्ष के दौरान कंपनी के बहियों और रिकार्डों की हमारी जांच भारत में सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखा परीक्षा पद्धतियों का अनुपालन करते हुए की गई और इस दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया या कंपनी द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया और न ही प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में हमें सूचित किया गया।	यह कथन सही है।